

# इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

सीआईएन : U45209DL2022GOI392406


वार्षिक रिपोर्ट

2023

**दिनांक 13.01.2022 से 31.03.2023 की अवधि के लिए  
इरकाँन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकाँन एचबीएल) की  
वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु**

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	कंपनी का प्रोफाइल	1
2.	अध्यक्ष का संबोधन	3
3.	निदेशक की रिपोर्ट	6
	❖ एओसी-2	20
4.	कंपनी के वित्तीय विवरण	
	❖ लेखापरीक्षा रिपोर्ट	22
	❖ तुलनपत्र	39
	❖ लाभ और हानि विवरण	40
	❖ रोकड़ प्रवाह विवरण	41
	❖ इक्विटी परिवर्तन विवरण	43
	❖ लेखों संबंधी नोट और अन्य विवरणात्मक सूचना	43
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	108

## हरिद्वार बायपास परियोजना फोटोग्राफ



## कंपनी परियोजना

हाइब्रिड वार्षिकी आधार पर उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार बाईपास पैकेज-1 पर किमी.0+000 (एन.एच-58 का किमी 188+100) से किमी. 15+100 (एन.एच-74 का 5+100 किमी) ('परियोजना') का उन्नयन और चार लेन का निर्माण

## निदेशक मंडल

श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, अध्यक्ष  
श्री बी. मुगंथन, निदेशक  
श्री मसूद अहमद, निदेशक

### सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स रवि रमेश एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार

### कंपनी के ईपीसी संविदाकार

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

### सम्पर्क अधिकारी

सुश्री शिवी कपूर  
अनुपालन अधिकारी  
ईमेल : [cospv.ircon@gmail.com](mailto:cospv.ircon@gmail.com)

### पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,  
नई दिल्ली-110017

**निदेशक मंडल**



**श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा  
अध्यक्ष**



**श्री बी.मुगुंथन  
निदेशक**



**श्री मसूद अहमद  
निदेशक**

## अध्यक्ष का संबोधन



**प्रिय शेयरधारकों,**

इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकॉनएचबीएल) की पहली (1) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बोर्ड के सम्मानित सदस्यों की ओर से आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। दिनांक 13 जनवरी, 2022 से दिनांक 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए निदेशक की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पहले से ही आपके पास हैं और आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूँ। इस एजीएम में भाग लेने को मैं आपका सहृदय आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("इरकॉन") को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने हाइब्रिड वार्षिकी आधार पर उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार बाईपास पैकेज-1 पर किमी.0+000 (एन.एच -58 का किमी 188+100) से किमी. 15+100 (एन.एच 74 का 5+100 किमी) ('परियोजना') का उन्नयन और चार लेन का निर्माण का कार्य सौंपा गया है। एनएचएआई द्वारा जारी अर्वाइड पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार, इरकॉन ने आपकी कंपनी को परियोजना के निष्पादन के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में शामिल किया है।

में आपके सामने आपकी कंपनी इरकॉनएचबीएल की कुछ मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत करना चाहता हूं।

इरकॉनएचबीएल ने 08 मार्च, 2022 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना की रियायत अवधि में नियत तिथि से 730 दिनों की निर्माण अवधि, और वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) से आरंभ होने वाली 15 वर्ष की संचालन अवधि शामिल है।

रियायती समझौते के अनुसार, बोली परियोजना लागत 861 करोड़ रुपये जमा जीएसटी (वृद्धि को छोड़कर) है। परियोजना बोली लागत का 40% निर्माण चरण के दौरान एनएचएआई द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी और शेष 60% वार्षिकी के रूप में निर्माण के बाद प्राप्य होगा। कंपनी परियोजना की लागत को 447.61 करोड़ रुपये के ऋण और 111.90 करोड़ रुपये की इक्विटी के माध्यम से वित्तपोषित करेगी। ऋण के संबंध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने 447.61 करोड़ रुपये का सावधि ऋण को स्वीकृति प्रदान की है। आज की तारीख को एसबीआई ने 5.61 करोड़ रूपए का सावधिक ऋण संवितरित किया है और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा 82.42 करोड़ रूपए की कुल इक्विटी सहायता संवितरित की गई है।

इरकॉन को 784.58 करोड़ रुपये के ईपीसी मूल्य और लागू जीएसटी पर पांच (05) वर्षों के लिए ओ एंड एम सहित परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में, परियोजना में निर्माण गतिविधियाँ नियत तिथि 31 अक्टूबर, 2022 से शुरू हो गई हैं और कार्य उपलब्ध क्षेत्रों पर प्रगति पर है।

### **अनुपालन और प्रकटीकरण**

*कॉर्पोरेट प्रशासन:* कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत आने वाले नियमों के तहत अनुपालन और प्रकटीकरण के प्रावधानों का आपकी कंपनी द्वारा पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिनांक 10 जुलाई 2014 और 11 जुलाई 2019 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित सीपीएसई को, सीपीएसई हेतु कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है। इसलिए, ये प्रावधान आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

*समझौता ज़ापन (एमओयू):* आपकी कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिनांक 10 मार्च, 2023 के समझौता ज़ापन (एमओयू) दिशानिर्देशों के तहत, वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए वार्षिक एमओयू प्रक्रिया के अनुपालन से छूट दिए जाने हेतु इरकॉन से अनुरोध किया है और इरकॉन ने अपने दिनांक 07 नवंबर, 2022 और 06 फरवरी, 2023 के पत्रों के माध्यम से कंपनी को क्रमशः वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए वार्षिक एमओयू प्रक्रिया के अनुपालन से छूट प्रदान की है।

### **आभारोक्ति**

मैं, निदेशक मंडल की ओर से, एमओआरटीएच, एनएचएआई, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी के लेखापरीक्षकों और उन सभी लोगों द्वारा कंपनी को दी गई बहुमूल्य सहायता और सहयोग के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने वर्ष के दौरान हमारा समर्थन और मार्गदर्शन किया है। मैं सभी कर्मचारियों को उनके समर्पण, विवेक, कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अंत में, मैं बोर्ड में अपने सहयोगियों को उनके मार्गदर्शन और निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

हम आगे की यात्रा में आपके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

**निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से  
इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड**

ह/-

**देवेन्द्र कुमार शर्मा**

**अध्यक्ष**

**दिनांक: 01.08.2023**

**स्थान : नई दिल्ली**

**डीआईएन : 08556821**

## निदेशक की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशकों को दिनांक 13 जनवरी, 2022 (निगमन की तिथि) से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए **इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकॉनएचबीएल)** के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित **प्रथम वार्षिक रिपोर्ट** प्रस्तुत करते हुए अत्यंत संतोष हो रहा है।

### 1. व्यावसायिक प्रचालनिक विशेषताएं: कंपनी के कार्यों की वर्तमान स्थिति

इरकॉनएचबीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे दिनांक 13 जनवरी, 2022 को एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में निगमित किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) हाइब्रिड वार्षिकी आधार पर उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार बाईपास पैकेज-1 पर किमी.0+000 (एन.एच -58 का किमी 188+100) से किमी. 15+100 (एन.एच 74 का 5+100किमी) ('परियोजना') का उन्नयन और चार लेन का निर्माण का कार्य निष्पादित करना है।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन एचबीएल को दिनांक 13 जनवरी, 2022 को एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में निगमित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) हाइब्रिड वार्षिकी आधार पर रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार बाईपास पैकेज-1 पर किमी.0+000 (एन.एच -58 का किमी 188+100) से किमी. 15+100 (एन.एच 74 का 5+100किमी) ('परियोजना') का उन्नयन और चार लेन का निर्माण का कार्य निष्पादित करना है।

इरकॉनएचबीएल ने 08 मार्च, 2022 को एनएचएआई के साथ रियायती समझौता किया है और परियोजना की रियायत अवधि में नियत तिथि से 730 दिनों की निर्माण अवधि और वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से शुरू होने वाली 15 वर्षों की संचालन अवधि शामिल है। इरकॉन द्वारा एनएचएआई को प्रस्तुत तकनीकी बोली

के संदर्भ में इरकॉन को ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त, रियायती समझौते के अनुसार, बोली परियोजना लागत 861 करोड़ रुपये जमा जीएसटी (वृद्धि को छोड़कर) है। परियोजना बोली लागत की 40% निर्माण चरण के दौरान एनएचएआई द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी और शेष 60% वार्षिकी के रूप में निर्माण के बाद होगा। कंपनी परियोजना की लागत को 447.61 करोड़ रुपये के ऋण और 111.90 करोड़ रुपये की इक्विटी के माध्यम से वित्तपोषित करेगी। ऋण के संबंध में, भारतीय स्टेट बैंक ने 447.61 करोड़ रूपए के सावधि ऋण को स्वीकृति प्रदान की है।

इरकॉन को 784.58 करोड़ रुपये के ईपीसी मूल्य और लागू जीएसटी पर पांच (05) वर्षों के लिए ओ एंड एम सहित परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में, परियोजना में निर्माण गतिविधियाँ नियत तिथि 31 अक्टूबर, 2022 से शुरू हो गई हैं और कार्य उपलब्ध क्षेत्रों पर प्रगति पर है।

## 2. वित्तीय विशेषताएं

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने दिनांक 13 जनवरी, 2022 से दिनांक 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुसार तैयार किया है।

दिनांक 13 जनवरी, 2022 से दिनांक 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए को वित्तीय निष्पादन सूचक:

(लाख रूपए में)

क्र.सं	विवरण	13.01. 2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए
1.	इक्विटी शेयर पूंजी	5.00
2.	अन्य इक्विटी ( रिजर्व और अतिरेक सहित)	8,294.00

3.	निवल परिसंपत्ति	8,299.00
4.	<b>कुल संपत्ति और देनदारियां</b>	<b>8,761.81</b>
5.	संचालन से राजस्व	5,205.63
	अन्य आय	103.92
6.	<b>कुल आय (7)+(8)</b>	<b>5,309.55</b>
7.	<b>कर पूर्व लाभ</b>	<b>103.28</b>
8.	<b>कर पश्चात लाभ</b>	<b>77.06</b>
9.	प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रति 10 रूपए के अंकित मूल्य पर)	
	(i) मूल	154.12
	(ii) विलयित	154.12

**\*नोट:** कंपनी को दिनांक 13 जनवरी, 2022 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया है और यह कंपनी के निगमन की पहली वित्तीय अवधि है, इसलिए पिछली अवधि के संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

### 3. लाभांश और आरक्षित निधि का विनियोग:

निदेशक मंडल समीक्षाधीन अवधि के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

इंड एस की प्रयोज्यता के अनुसार, आरक्षित निधि को वित्तीय विवरणों में "अन्य इक्विटी" शीर्षक के तहत प्रतिधारित आय के रूप में दर्शाया गया है और आपकी कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च 2023 तक प्रतिधारित आय में 77.06 लाख रुपये शेष है।

### 4. शेयर पूंजी/डीमैटीरियलाइजेशन:

आपकी कंपनी को अधिकृत शेयर पूंजी और कंपनी की 5 लाख रुपये की प्रदत्त शेयर पूंजी के साथ निगमित किया गया था, जिसमें 10/- रुपये के 50,000 इक्विटी शेयर शामिल थे। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के पास इरकॉनएचबीएल की प्रदत्त शेयर पूंजी का 100% भाग है। कंपनी के निगमन अर्थात् दिनांक 13 जनवरी, 2022 के बाद से, आपकी कंपनी की शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

दिनांक 22 जनवरी, 2019 के कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) संशोधन नियम, 2019 नियम 9ए के अनुसार, कंपनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) होने के कारण, अपनी प्रतिभूतियों को डीमटेरियलाइज्ड रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

**5. परियोजना से रोकड़ प्रवाह:**

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की प्रचालनिक गतिविधियों से 8279.98 लाख रुपये का ऋणात्मक रोकड़ प्रवाह हुआ है।

**6. सहायक/संयुक्त उद्यम/ संबद्ध कंपनियों का विवरण:**

समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी नहीं थी।

**7. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:**

**निदेशक मंडल:**

दिनांक 13 जनवरी, 2022 से दिनांक 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए निदेशकों की श्रेणी, नाम और पदनाम

कंपनी के आंतरिक नियम के अनुसार, कंपनी के बोर्ड की नियुक्ति धारक कंपनी (इरकॉन) द्वारा की जाती है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक, इरकॉन द्वारा नामित अध्यक्ष सहित निदेशकों की कुल संख्या तीन है। निदेशकों का विवरण इस प्रकार है:

श्रेणी, नाम और पदनाम	डीआईएन	नियुक्ति या कार्यमुक्ति (वर्ष के दौरान, यदि कोई हो)
श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, अध्यक्ष	08556821	दिनांक 10.10.2022 से अतिरिक्त अंशकालीन निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
श्री बी. मुगुंथन, निदेशक	08517013	-
श्री मसूद अहमद, निदेशक	09008553	-

आपकी कंपनी के अध्यक्ष (अंशकालिक नामांकित) श्री अशोक कुमार गोयल, इरकॉन द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2022 से नामांकन वापस लेने के परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी के निदेशक और अध्यक्ष पद से पदमुक्त हो गए हैं। बोर्ड ने श्री अशोक कुमार गोयल द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उनकी सराहना की है।

श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, निदेशक, को इरकॉन द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2022 से कंपनी के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित किया गया था, जो वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहेंगे। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए अध्यक्ष और निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी उम्मीदवारी देने का नोटिस प्राप्त हुआ है। शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति एजीएम की सूचना में शामिल है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सभी निदेशक आपकी कंपनी की वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे। श्री बी मुगुंथन और श्री मसूद अहमद कंपनी के पहले निदेशक होने के कारण समान तिथि अर्थात् 13 जनवरी, 2022 को नियुक्त किए गए और श्री बी मुगुंथन आपकी कंपनी की वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करेंगे। निदेशक मंडल, निदेशक के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करता है और उनका संक्षिप्त विवरण, वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न है।

कोई भी निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त/पुनः नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

#### **प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी):**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के अनुसार, आपकी कंपनी को समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी भी प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

## 8. बोर्ड बैठकें:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड ने दिनांक 14.01.2022, 20.01.2022, 21.02.2022, 17.05.2022, 22.07.2022, 04.08.2022, 09.09.2022, 03.11.2022 और 31.01.2023 को नौ (9) बार बैठकें की हैं। बोर्ड बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था। बोर्ड बैठकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

बैठक की तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
14.01.2022	3	3
20.01.2022	3	3
21.02.2022	3	2
17.05.2022	3	3
22.07.2022	3	3
04.08.2022	3	3
09.09.2022	3	2
03.11.2022	3	3
31.01.2023	3	3

नीचे दी गई तालिका समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति दर्शाती है:

निदेशकों के नाम	बैठक की तारीख									13 जनवरी, 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए उपस्थिति हेतु पात्र कुल बोर्ड बैठकें	13 जनवरी, 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि में कुल बोर्ड बैठकें में उपस्थित	% उपस्थिति
	14.01.2022	20.01.2022	21.02.2022	17.05.2022	22.07.2022	04.08.2022	09.09.2022	03.11.2022	31.01.2023			
श्री अशोक कुमार गोयल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	-	-	7	6	85.71
श्री बी. मुगुंथन	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	8	88.89

श्री मसूद अहमद	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	9	9	100
श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	2	2	100

**9. स्वतंत्र निदेशक और बोर्ड समितियां और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देश:**

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 05 जुलाई, 2017 की अपनी अधिसूचना के तहत एक गैर-सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी, जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, को अपने बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन की आवश्यकता से छूट प्रदान की है।

इरकॉनएचबीएल, एक गैर-सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी और इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, को अपने बोर्ड में किसी भी स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है और स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 8-10 जुलाई 2014 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित 11 जुलाई, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित सीपीएसई को कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है। इसलिए, डीपीई के निगमित शासन दिशानिर्देश, इरकॉन एचबीएल पर लागू नहीं हैं।

**10. निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण:**

कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि:

क) दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु वार्षिक लेखे तैयार करने में महत्वपूर्ण विचलनों, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

ख) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया और निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे, जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि 31

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत हो सके।

ग) परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ) वार्षिक लेखा विवरण "निरंतर" आधार पर तैयार किए गए हैं।

ड.) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

**11. निदेशक का अवलोकन और वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी (लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई किसी भी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण:**

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में खातों का विवरण स्व-व्याख्यात्मक है तथा इसे और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, जिसके लिए किसी भी तरह के स्पष्टीकरण/ पुष्टि की आवश्यकता होती है।

**12. सांविधिक लेखापरीक्षक:**

मैसर्स रवि रमेश एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सीएजी के दिनांक 04 मई, 2022 के पत्र संख्या/सीए.वी/सीओवाई/केंद्र सरकार/ आईआरसीएचबीएल(1)/2010 द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए पहले वैधानिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे 17 मई, 2022 को आयोजित दूसरी ईजीएम में कंपनी के सदस्यों द्वारा आशोधित किया गया था। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (i) के तहत यथापेक्षित लिखित सहमति और प्रमाण पत्र के माध्यम से पुष्टि की है।

**13. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ**

दिनांक 13 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शून्य अवलोकन के साथ दिनांक 13 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) से प्राप्त गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र के साथ वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग से संलग्न की गई है।

**14. लागत रिकॉर्ड**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड का रखरखाव, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है।

**15. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के तहत कार्यरत कंपनी सचिव से सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

**16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण:**

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-186 के प्रावधानों के तहत शामिल किए गए ऋण, गारंटी और निवेश का कोई लेनदेन नहीं है।

**17. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था के विवरण:**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, धारक कंपनी, इरकॉन के साथ संबंधित पक्ष लेनदेन, व्यापार के सामान्य क्रम में और आर्म लेंथ आधार पर थे और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुमोदित थे। फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध-ख के रूप में संलग्न है।

**18. वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:**

वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

**19. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और आउटगो:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के तहत निर्धारित विवरण निम्नानुसार है:

**क. ऊर्जा का संरक्षण: -**

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलिप्त नहीं है और इसलिए कंपनी के विवरण का प्रस्तुतिकरण हमारी कंपनी पर लागू नहीं होता है।

**ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण: -**

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि का निष्पादन नहीं कर रही है और इसलिए कंपनी के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत करना लागू नहीं है।

**ग. विदेशी मुद्रा आय और आउटगो: -**

वर्ष 2022-23 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय और विदेशी मुद्रा आउटगो नहीं था।

**20. जोखिम प्रबंधन:**

बोर्ड की मतानुसार, वर्तमान में कंपनी अपने व्यवसाय के लिए किसी भी बड़े खतरे/जोखिम को नहीं देखती है।

**21. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रावधान समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं थे।

**22. कर्मचारियों के विवरण:**

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-197 के प्रावधानों और अध्याय-XIII के तहत संबंधित नियमों के अनुपालन से छूट दी गई है।

इरकॉनएचबीएल, एक सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी के लिए निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के नियम-5(2) के तहत निर्धारित मानदंडों के तहत आने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बारे में जानकारी का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

**23. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

**24. सार्वजनिक जमा राशि:**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियां (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार अपने सदस्यों से किसी भी जमा राशि को आमंत्रित नहीं किया है।

**25. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता:**

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली विद्यमान है। सभी लेन-देन उचित रूप से अधिकृत रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं और प्रबंधन को रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। कंपनी वित्तीय विवरणों में लेखा बहियों और रिपोर्टिंग को ठीक से बनाए रखने के लिए सभी लागू लेखा मानकों का पालन कर रही है। आपकी कंपनी अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप उचित और पर्याप्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना जारी रखती है।

**26. कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों या न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेश**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

**27. खरीद वरीयता नीति के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत सभी कंपनियों, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रूपए से अधिक है और सभी सीपीएसई भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार स्थापित ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीडीएस) प्लेटफॉर्म पर खुद को ऑन-बोर्ड करने की आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ऐसे निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार सीपीएसई द्वारा ऐसे निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। टीआरडीडीएस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।

**28. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटन:**

कंपनी इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, इरकॉन की 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए नीति' (पोश नीति) कंपनी पर लागू होती है और इरकॉन की आंतरिक शिकायत समिति पोश नीति के तहत सभी मामलों का निपटान करती है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा-22 के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जहां यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज की गई।

**29. सतर्कता तंत्र:**

सतर्कता तंत्र की स्थापना से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के प्रावधान समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

**30. सूचना का अधिकार:**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपकी कंपनी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था, हालांकि, डीपीई से स्थानांतरित आरटीआई आवेदन का विधिवत उत्तर दिया गया था।

**31. बोर्ड के सदस्यों का निष्पादन मूल्यांकन:**

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 5 जून 2015 की अपनी अधिसूचना के अनुसरण में,

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के संबंध में धारा 178 की उप-धारा (2), (3) और (4) के प्रावधान सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होगा।

एक सरकारी कंपनी और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, सभी अंशकालिक निदेशकों को होल्डिंग कंपनी, इरकॉन द्वारा नामित किया जाता है। इन मनोनीत निदेशकों का मूल्यांकन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्व-निर्धारित मानदंडों के अनुसार होल्डिंग कंपनी द्वारा किया जाता है। इसलिए, निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन का प्रावधान आपकी कंपनी पर लागू नहीं है।

**32. सचिवीय मानक**

इस अवधि के दौरान, कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों के अनुपालन में है।

**33. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत लंबित आवेदन/कार्रवाई**

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कंपनी के प्रति कोई कार्रवाई आरंभ /लंबित नहीं है, जो कंपनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

**34. समझौता ज्ञापन (एमओयू):**

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के 10 मार्च, 2023 के समेकित समझौता ज्ञापन (एमओयू) दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार, कंपनियां, जो सीपीएसई की सहायक कंपनी हैं, अपनी होल्डिंग कंपनी के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगी और होल्डिंग कंपनी अपनी सहायक कंपनियों के लिए एमओयू से छूट के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और छूट की प्रक्रिया आमतौर पर आधार वर्ष के 31 मार्च तक पूरी की जाएगी।

इरकॉन (होल्डिंग कंपनी) और स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित, आपकी कंपनी इरकॉन के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने एमओयू दिशानिर्देशों के अनुरूप, इरकॉन से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक एमओयू प्रक्रिया के अनुपालन से छूट देने का अनुरोध

किया और इरकॉन ने अपने दिनांक 06 फरवरी, 2023 के पत्र के माध्यम से कंपनी को छूट प्रदान की है।

**35. आभारोक्ति:**

हम, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), विभिन्न अन्य सरकारी एजेंसियों, बैंकों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), सांविधिक लेखापरीक्षकों, आंरिक लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों और सचिवीय लेखापरीक्षक को उनके समर्थन के लिए को धन्यवाद देते हैं, और भविष्य में उनके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

हम, सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान के लिए उनकी सराहना भी करते हैं। आपका निदेशक मंडल भी, इस अवसर पर रिपोर्ट की अवधि के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त सहयोग और सहायता के लिए उनका आभार और ईमानदारी से धन्यवाद व्यक्त करता है। उनकी कड़ी मेहनत, एकजुटता, सहयोग और समर्थन से हमारा निरंतर विकास संभव हुआ है।

हम अपने ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों को वर्ष के दौरान उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान के लिए उनकी सराहना करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत, एकजुटता, सहयोग और समर्थन से हमारा निरंतर विकास संभव हुआ है।

निदेशक मंडल के निमित्त एवं की ओर से  
इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड

ह/-

देवेन्द्र कुमार शर्मा

अध्यक्ष

डीआईएन : 08556821

दिनांक: 01.08.2023

स्थान : नई दिल्ली

फॉर्म सं. एओसी-2

(अधिनियम के धारा 134 के उप-धारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

दिनांक 13 जनवरी, 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 188 के उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्म लैथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

1. आर्म लैथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार का ब्यौरा : शून्य
2. आर्म लैथ आधार पर महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं या संविदाओं का ब्यौरा : निम्नानुसार:

क्र.सं.	विदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहारों की प्रकृति	संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो
1	ईपीसी करार	नियुक्ति की तारीख से 730 दिन और वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 5 साल तक संचालन और रखरखाव	ईपीसी समझौता 2 सितंबर, 2022 को 784.58 करोड़ रुपये में निष्पादित हुआ।	22 जुलाई 2022	24.78 करोड़ रुपये का मोबिलाइजेशन अग्रिम

2.	<b>पट्टा करार</b> (कार्यालय परिसर के प्रयोग हेतु किराया)	एक वर्ष (01.02.2022 से 31.03.2023)	पट्टा करार दिनांक 18 फरवरी 2021 को 21,236/- रूपए प्रतिमाह जमा जीएसटी की दर से निष्पादित किया गया है।	14 जनवरी 2022	शून्य (आज की तिथि को)
----	---	--	---	------------------	-----------------------------

निदेशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से  
इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड

ह/-  
देवेन्द्र कुमार शर्मा  
अध्यक्ष  
डीआईएन : 08556821

दिनांक: 01.08.2023  
स्थान : नई दिल्ली

## स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट

इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्य

इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र तथा इसी तारीख को समाप्त अवधि हेतु लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण और और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों पर नोटों (इसके बाद "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

### मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त इंड एस वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अंतर्गत यथापेक्षित और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक), नियम, 2015, यथा संशोधित ("इंड एस") के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2023 को कंपनी की कार्यप्रणाली और समान तिथि को समाप्त अवधि के लिए के लिए लाभ और कुल वृहत आय, इक्विटी परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण का सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

### मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के इंड एस वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में उल्लिखित है। हम कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रति संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी स्वतंत्र हैं और हम हमने नैतिक संहिता और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त

किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

### **प्रमुख लेखापरीक्षा मामले**

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय के दौरान, दिनांक 06 जनवरी 2022 (निगमन की तिथि) से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से समाधान किया गया है, और हम इन मुद्दों पर पृथक मद उपलब्ध नहीं कराते हैं।

हमने निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित करने हेतु कोई प्रमुख लेखापरीक्षा विषय नहीं है।

### **इंड एस वित्तीय विवरण और उसकी लेखापरीक्षक रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना**

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई जानकारी शामिल है, लेकिन इंड एस वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं हैं।

इंड एस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासनों को निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में तथ्यात्मक दुर्विवरण है, तो हमें उसे प्रकट करना अपेक्षित है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

## स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134 (5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रही थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोइंग कंसर्न, प्रकटन, यथा अपेक्षित, गोइंग कंसर्न संबंधी मुद्दों और लेखांकन के गोइंग कंसर्न के प्रयोग के साथ जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को लिक्विडेट करना चाहती है या प्रचालन बंद करना चाहती है, या उसा करने के अतिरिक्त उसके पास को वास्तविक विकल्प है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

## इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्रीगत तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि से मुक्त हैं। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन नीति

के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा सदैव तथ्यात्मक दुर्विवरण को खोज लेता है, जब वह विद्यमान हो। जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न होने वाले दुर्विवरण को तब महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप में या समग्र रूप में वे युक्तिसंगत स्तर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हों।

लेखांकन मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और बिना लेखापरीक्षा के पेशेवर व्यवहार को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित व्यवस्थाओं का भी अनुसरण करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या वे जालसाजी या त्रुटि या अभिकल्प के कारण हैं और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के प्रति प्रकियात्मक रूप से सक्रिय हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे मत के लिए आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। जालसाजी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, पुनर्विनियोजन या आंतरिक नियंत्रण से बचने वाली जालसाजियों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक महत्वपूर्ण है।
- उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रति संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ को प्राप्त करना, जो उक्त परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अपने इस मत को भी अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखांकन अनुमानों और प्रकटनों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के संबंधित आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना कि घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है, जो गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतर कार्यरत रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें उन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को आशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को

प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं और स्थितियां कंपनी के गोडंग कंसर्न के रूप में निरंतरता को बंद कर सकती हैं।

- प्रकटन सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और अवलोकन कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं।

भौतिकता, इंड-एएस वित्तीय विवरणों में दुर्विवरण का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभवना उतपन्न करता है कि वित्तीय विवरणों के युक्तिसंगत ज्ञानधारक उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय, प्रभावित हो सकते हैं। हम निम्नलिखित में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने हेतु; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए दुर्विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम ये भी उल्लेख करते हैं कि स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, समेकित की गई विवरण के शासन को प्रभारित करने और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को सम्प्रेषित करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता के संबंध में युक्तिसंगत हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय को प्रभारित करते हैं।

शासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण का प्रस्ताव नहीं देता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों का यथोचित परिणाम अपेक्षित होगा।

#### **अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा

यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण **अनुलग्नक-क** के रूप में दे रहे हैं।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

- (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।
- (ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और अन्य वृहत आय सहित लाभ-हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण, बही खातों से मेल खाते हैं।
- (घ) हमारी राय में उपर्युक्त इंड एस वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित, इस अधिनियम के अनुच्छेद-133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- (ङ.) सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा-164(2) का प्रावधान भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार लागू नहीं है।
- (च) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "अनुबंध-ख" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।
- (छ) सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा-197 का प्रावधान भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार लागू नहीं है।
- (ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम-11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे

मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

- i. कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।
- ii. डैरिवेटिव संविदाओं सहित कंपनी का कोई दीर्घकालीन संविदा नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार की सामग्रीगत भावी हानियां थीं।
- iii. ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।
- iv. (क) प्रबंधन ने उल्लेख दिया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई धन उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, विदेशी संस्था (मध्यस्थों) सहित, इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से (अंतिम लाभार्थी) की पहचान की गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करती हैं।

(ख) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई से विदेशी संस्था (फंडिंग पार्टियां) सहित कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (अंतिम लाभार्थी) या वित्तपोषण पक्ष की ओर से या प्रदान करेगी, अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं दी है।

(ग) निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें उक्त परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड.) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत

प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण दुर्विवरण नहीं है।

- v. कंपनी ने इस अवधि के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, किसी भी अंतिम या अंतरिम लाभांश का प्रस्ताव, घोषणा या भुगतान नहीं किया है, इसलिए, खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- vi. लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लेखा बहियों का अनुरक्षण करने के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

1. अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) द्वारा अपेक्षित अनुसार और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उप-निदेशकों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

क्र.सं	निदेश	लेखापरीक्षा का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया की प्रणाली विद्यमान है? यदि हां तो, वित्तीय परिणामों, यदि कोई हो, सहित लेखों की सत्यनिष्ठ पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया या है, कृपया स्पष्ट करें।	कंपनी सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया के लिए सेप प्रणाली का प्रयोग कर रही है। विद्यमान है और मैं दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन संव्यवहार नहीं किए गए हैं।
2.	कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि, यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने पर कोई प्रतिबंध है। यदि हां तो इसके वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें।	जी नहीं, कंपनी में, ऋण के पुनर्भुगतान की कंपनी की अक्षमता के कारण देनदारों द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋणों की पुनर्संरचना या ऋण/उधार/ ब्याज आदि में छूट/बट्टा खाता डाले जाने को कोई मामला नहीं है।

3.	क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधियां प्राप्त/प्राप्य हैं जिनका उनका उनकी शर्तों और निबंधनों के अनुसार लेखांकन/उपयोग किया गया है? विपथन के मामलों की सूची बताएं।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अभिलेखों की जांच के अनुसार, इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए, केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए कोई धनराशि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है।
----	--	---

कृते रवि रमेश एवं एसोसिएट्स  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
एफआरएन सं. 004306एन

सीए सुभाष बंसल  
साझेदार

सदस्यता सं. 085785

यूडीआईएन : 23085785BGYBXH8643

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 12.05.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ए"।

(हमारी समतिथि रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

संदर्भ : इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड ("कंपनी")

ऐसी जाँचों के आधार पर जिन्हें हमने उचित समझा और हमारे लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) (क) क) कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रख रही है।

ख) कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।

(ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई जानकारी के अनुसार, ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गईं।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।

(घ) कंपनी ने अपनी संपत्तियों, संयंत्र और उपकरणों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।

(ii) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, इसलिए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के पैरा 3 का खंड (ii) कंपनी पर लागू नहीं है।

(iii) जैसा कि सूचित किया गया है, कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई रक्षित या अरक्षित

ऋण नहीं दिया है।

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई ऋण, निवेश, गारंटी या प्रतिभूति नहीं है, जहां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना है।

(v) कंपनी ने किसी भी जमा धन या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और बनाए गए नियमों के तहत जमा माना जाता है। इसके तहत, जहां लागू हो. तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(vi) हमारी राय में लागत लेखांकन रिकॉर्ड से संबंधित आदेश के खंड 3 का खंड (vi) रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान लागू नहीं है।

(vii) (क) कंपनी आम तौर पर, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया अतिरिक्त कर, उपकर और कोई भी अन्य वैधानिक बकाया, जैसा लागू हो, को जमा करने में नियमित है और इन्हें उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भेजा जाएगा। इसके अलावा, उसके संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि वर्ष के अंत में देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी अन्य के संबंध में कोई बकाया नहीं है। वैधानिक बकाया राशि जो किसी विवाद के कारण उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा नहीं की गई है।

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो।

(ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है।

(ख) कंपनी को वर्ष के अंत तक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।

(घ) कंपनी ने अल्पावधि आधार पर कोई धन नहीं जुटाया है।

(ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण प्रतिभूतियों सहित कोई उधार नहीं लिया है।

(x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक पब्लिक इश्यु या प्रेफरेंशियल पब्लिक इश्यु (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष पक्ष की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है। वर्ष के दौरान इसके अधिकारियों या कर्मचारियों पर ध्यान दिया गया या रिपोर्ट किया गया।

(xii) हमारी राय में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xiii) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन लेखांकन मानक और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और विवरण लागू होने के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) हमारी राय में आंतरिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता, कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्ति के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है जो अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत आता है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, तदनुसार, धारा 3(xvi) के प्रावधान आदेश कंपनी पर लागू नहीं होते।

(xvii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और आयोजित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी राय है कि कंपनी को वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपात, एजिंग और वित्तीय संपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और हमारी जांच के आधार पर धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य के आधार पर हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास होता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो दर्शाता है कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में असमर्थ है, जो तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होगा। हालाँकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा।

(xx) कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xxi) खंड (xxi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार, इस रिपोर्ट के तहत उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते रवि रमेश एवं एसोसिएट्स  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन सं. 004306एन

सीए. सुभाष बंसल  
साझेदार  
सदस्यता सं. 085785  
यूडीआईएन : 23085785BGYBXH8643

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 12.05.2023

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध-ख

(हमारी समतिथिक रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 2 (एफ) में संदर्भित)

**संदर्भ : इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड ("कंपनी")**

हमने समान तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ-साथ दिनांक 31 मार्च 2023 तक इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

### **आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अशिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

### **लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अशिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट ("दिशानिर्देश नोट") के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे शरतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143(10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार

युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

### **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अशिकल्पित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्योरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करता है। (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रशवित कर सकते हैं।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

## मत

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सही सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नष्ट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2023 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते रवि रमेश एवं एसोसिएट्स  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन सं. 004306एन

सीए सुभाष बंसल  
साझेदार

सदस्यता सं. 085785

यूडीआईएन : 23085785BGYBXH8643

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 12.05.2023

**इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड**  
**सीआईएन :-U45209DL2022GOI392406**  
**31 मार्च 2023 को तुलनपत्र**  
*(सभी राशियां भारतीय लाख रूपए में हैं जबतक अन्यथा उल्लेख न हो)*

	विवरण	नोट	31 मार्च 2023 को
<b>I.</b>	<b>संपत्ति</b>		
<b>1</b>	<b>गैर चालू परिसंपत्ति</b>		
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	0.32
	(ख) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	4	0.02
	(ग) वित्तीय संपत्ति		
	(i) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5	0.01
	(घ) अन्य गैर-वर्तमान संपत्ति		-
	<b>कुल गैर - चालू संपत्तियां</b>		<b>0.35</b>
<b>2</b>	<b>चालू संपत्ति</b>		
	(क) वित्तीय संपत्ति	6	
	(i) नकद और नकद समकक्ष	6.1	44.82
	(ii) ऋण		-
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6.2	5,299.16
	(ख) चालू कर संपत्ति (निवल)	7	0.03
	(सी) अन्य चालू संपत्ति	8	3,417.45
	<b>कुल चालू संपत्तियां</b>		<b>8,761.46</b>
	<b>कुल संपत्ति</b>		<b>8,761.81</b>
<b>II.</b>	<b>इक्विटी और देयता</b>		
<b>1</b>	<b>हिस्सेदारी</b>		
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	9	5.00
	(ख) अन्य इक्विटी	10	8,294.00
	<b>कुल इक्विटी</b>		<b>8,299.00</b>
<b>2</b>	<b>देयताएं</b>		
	<b>गैर मौजूदा देयदारियां</b>		
	(क) वित्तीय देयदारियां		
	(i) लीज देयदारियां		-
	(ii) व्यापार देय		-
	- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		-
	- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया		-
	<b>कुल गैर-चालू देयदारियां</b>		<b>-</b>
<b>3</b>	<b>चालू देयदारियां</b>		
	(क) वित्तीय देयदारियां		
	(i) पट्टा देयदारियां		-
	(i) व्यापार देय	11	
	- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया	11.1	0.31
	- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया	11.1	350.92
	(iii) अन्य वित्तीय देयदारियां	11.2	6.58
	(ख) अन्य चालू देयदारियां	12	105.00
	(ग) चालू कर देयदारियां (निवल)	13	-
	<b>कुल चालू देयदारियां</b>		<b>462.81</b>
	<b>कुल शेयर और देयदारियां</b>		<b>8,761.81</b>

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

संलग्न नोट वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं

2

1 से 38

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से  
 इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड

कृते रवि रमेश एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म सं. - 004306N

ह/-

सीए सुभाष बंसल

साझेदार

आईसीएआई सदस्यता सं. - 085785

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 12.05.2023

ह/-

.मुगुंथन बोजू गोडा

निदेशक

डीआईएन: 08517013

ह/-

मसूद अहमद

निदेशक

डीआईएन: 09008553

**इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड**
**सीआईएन :-U45209DL2022GOI392406**
**13 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण**
*(सभी राशियां भारतीय लाख रूप में हैं जबतक अन्यथा उल्लेख न हो)*

विवरण	नोट	13 जनवरी 2022 (निगमान की तिथि) से 31 मार्च 2023 की अवधि हेतु
<b>आय</b>		
संचालन से राजस्व	14.1	5,205.63
अन्य आय	14.2	103.92
<b>कुल आय (क)</b>		<b>5,309.55</b>
<b>व्यय</b>		
परियोजना व्यय	15	5,099.84
कर्मचारी लाभ व्यय	16	24.79
वित्त लागत	17	9.24
मूल्यहास, परिशोधन और हानि	3	0.10
अन्य व्यय	18	72.30
<b>कुल व्यय (ख)</b>		<b>5,206.27</b>
<b>कर पूर्व लाभ/(हानि) (क-ख)</b>		<b>103.28</b>
<b>कर व्यय</b>	4	
वर्तमान कर		26.24
आस्थगित कर (शुद्ध)		(0.02)
		<b>26.22</b>
<b>वर्ष के लिए लाभ/(हानि)</b>		<b>77.06</b>
<b>अन्य व्यापक आय/(हानि)</b>		
क) मद, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-
ख) मद, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		-
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		-
<b>वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (कर का शुद्ध)</b>		<b>-</b>
<b>वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)।</b>		<b>77.06</b>
प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य 10 रु.)	22	
मूल		154.12
वित्तियत		154.12

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं।

1 से 38

**कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से  
इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड**
**हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते रवि रमेश एंड एसोसिएट्स**
**सनदी लेखाकार**
**आईसीएआई फर्म सं. - 004306N**
**ह/-**
**सीए सुभाष बंसल**
**साझेदार**
**आईसीएआई सदस्यता सं. - 085785**
**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक: 12.05.2023**
**ह/-**
**मुगुंधन बोजू गोडा**
**निदेशक**
**डीआईएन: 08517013**
**ह/-**
**मसूद अहमद**
**निदेशक**
**डीआईएन: 09008553**

**इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड**
**सीआईएन :-U45209DL2022GOI392406**
**13 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए रोकड प्रवाह विवरण**
*(सभी राशियां भारतीय लाख रूपए में हैं जबतक अन्यथा उल्लेख न हो)*

विवरण		13 जनवरी 2022 (निगमान की तिथि) से 31 मार्च 2023 की अवधि हेतु
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ		103.28
निम्न के लिए समायोजन:		
मूल्यहास व्यय		0.10
ब्याज आय		(103.92)
ब्याज व्यय		0.64
परिसंपत्तियों के निपटान पर हानि		-
अशोध्य ऋणस		-
पूर्ववर्ती वर्षों हेतु कर		-
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनिक लाभ		0.10
कार्यशील पूंजी में उतार-चढ़ाव:		
अन्य गैर-चालू देयता में वृद्धि/(कमी)		-
अन्य चालू वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		6.58
वर्तमान व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)		351.23
अन्य गैर-चालू वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		-
अन्य चालू दायित्व में वृद्धि/(कमी)		105.00
गैर-वर्तमान प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		-
वर्तमान प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		-
व्यापार प्राप्य में कमी/(वृद्धि)		-
इन्वेंट्री में कमी/(वृद्धि)		-
गैर चालू वित्तीय ऋणों में कमी/(वृद्धि)		-
ऋण एवं चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(5,299.16)
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(0.01)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(3,417.45)
<b>प्रचालनों से सृजित नकद</b>		<b>(8,253.71)</b>
घटा: प्रदत्त आयकर		26.27
<b>प्रचापलनिक गतिविधियों से (प्रयुक्त) निवल रोकड प्रवाह</b>	<b>(क)</b>	<b>(8,279.98)</b>
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
पीपीई की खरीद		(0.42)
ब्याज आय		103.92
<b>निवेश गतिविधियों से/(इनमें प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह</b>	<b>(ख)</b>	<b>103.50</b>

ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी के ताजा निर्गम से प्राप्त आय		5.00
ब्याज खर्च		(0.64)
अर्ध पूंजी के रूप में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से ऋण		8,216.94
<b>वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त)।</b>	<b>(ग)</b>	<b>8,221.30</b>
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)।	<b>(क +खB +ग)</b>	44.82
अवधि की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष		-
<b>नकदी और नकदी समकक्षों का समापन</b>		<b>44.82</b>
<b>विवरण</b>		<b>31 मार्च 2023 को</b>
<b>नकद और नकद समकक्षों के घटक*</b>		
- हाथ में नकदी		-
- चालू खाते में बैंकों के साथ		5.02
- 3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा		39.80
<b>तुलन पत्र और नकदी प्रवाह के विवरण के अनुसार कुल नकदी और नकदी</b>		<b>44.82</b>

\*निर्धारित निधि

टिप्पणियाँ:

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकदी बहिर्प्रवाह को दर्शाते हैं
- नकदी प्रवाह का विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित Ind AS-7 'कैश फ्लो का विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।
- नकदी प्रवाह के उपरोक्त विवरण में शामिल नकदी और नकदी समकक्षों और नकदी और नकदी समकक्षों के घटकों का मिलान:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां  
संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं।

2  
1 से 38

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से  
इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते रवि रमेश एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म सं. - 004306N

ह/-

सीए सुभाष बंसल

साझेदार

आईसीएआई सदस्यता सं. - 085785

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 12.05.2023

ह/-

मुगुंथन बोजू गोडा

निदेशक

डीआईएन: 08517013

ह/-

मसूद अहमद

निदेशक

डीआईएन: 09008553

इरकाँन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड

सीआईएन :-U45209DL2022GOI392406

13 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(सभी राशियां भारतीय लाख रूप में हैं जबतक अन्यथा उल्लेख न हो)

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	राशि
13 जनवरी 2022 तक शेष राशि	-
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	5.00
31 मार्च 2023 तक शेष राशि	5.00

(ब) अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरिक्त	अन्य वृहत आय	अर्ध इक्विटी	कुल
	प्रतिधारित आय			
13 जनवरी 2022 तक शेष राशि	-	-	-	-
अवधि के लिए कुल लाभ	77.07	-	-	77.07
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	77.07	-	-	77.07
अर्ध इक्विटी में वृद्धि	-	-	8,216.94	8,216.94
31 मार्च, 2023 तक	77.07	-	8,216.94	8,294.01

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं।

2

1 से 38

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते रवि रमेश एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म सं. - 004306N

ह/-

सीए सुभाष बंसल

साझेदार

आईसीएआई सदस्यता सं. - 085785

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 12.05.2023

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर सं

इरकाँन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड

ह/-

मुगुंथन बोजू गोडा

निदेशक

डीआईएन: 08517013

ह/-

मसूद अहम

निदेशक

डीआईएन: 0901

## इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष लिए वित्तीय विवरणों पर नोट

### 1. निगमित सूचना

इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड ("कंपनी") भारत में स्थित और निगमित है और भारत में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी अर्थात् इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (आईआरसीओएन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी (सीआईएन U45209DL2022GOI392406) भारत में लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत शामिल है।

कंपनी, उस समय में आई, जब इरकॉन को उत्तराखंड राज्य में हाइब्रिड वार्षिकी आधार पर "प्रस्ताव के लिए अनुरोध" के प्रावधानों के अनुसार, हरिद्वार बाईपास पैकेज-I के किमी0+000 (एनएच-58 के किमी 188+100) से किमी 15+100 (एनएच-74 के किमी 5+100) तक चार लेन के उन्नयन और निर्माण का काम सौंपा गया था। चयनित बोलीदाता 'इरकॉन' ने इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया है, जिसका निगमन दिनांक 13.01.2022 को हुआ। तदनुसार, कंपनी ने दिनांक 08 मार्च, 2022 को 861 करोड़ रुपये की परियोजना मूल्य के लिए एनएचआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रियायती अवधि, वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) से 15 वर्ष है और निर्माण अवधि नियत तिथि से 730 दिन है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली- 110017 पर स्थित है।

कंपनी की प्रस्तुतीकरण और क्रियात्मक मुद्रा भारतीय रूपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरण में आंकड़ों को दो दशमलव तक राउंड ऑफ करते हुए लाख रूपए में प्रस्तुत किया गया है केवल प्रति शेयर डाटा और अन्यथा उल्लेख किया गया हो, को छोड़कर।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को दिनांक 12.05.2023 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी क निदेशक मंडल द्वारा जारी किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

### 2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

#### 2.1 तैयार करने का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के

अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची-III) की अनुसूची-III के भाग-II, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अतिरिक्त है :-

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

## 2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण वित्तीय लेखांकन नीतियों का सार नीचे प्रस्तुत है। इन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को इस वित्तीय विवरण में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए निरंतर रूप से लागू किया गया है।

### 2.2.1 चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :

- सामान्य प्रचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए निर्धारित हो अथवा उपयोग किया जाना हो,
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है,
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बेची जानी संभावित हो, या
- रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, बशर्ते विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है,

कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों को गैर-चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो,

- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है,
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

प्रचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

## 2.2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

### स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में शामिल है :

- क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल।
- ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं।
- ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं निर्धारित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।
- घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।
- ङ) स्वीकृति मापदंड पूरे किए जाने पर मदों को अलग-अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।

फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

### अनुवर्ती मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा व्यय की

लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापन, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्णों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मशीनरी के अतिरिक्त पूर्णों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

### **मूल्यहास एवं उपयोज्यता काल**

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यहास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

हालाँकि, परिसंपत्तियों के कुछ वर्ग के मामले में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित से भिन्न, उपयोगी जीवन का उपयोग करती है। परिसंपत्तियों के उन वर्गों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उपयोगी जीवन का मूल्यांकन किया गया है, परिसंपत्ति से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोग। तकनीकी मूल्यांकन अर्थात् कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन का खुलासा खातों के नोट्स में किया गया है। अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन/घटाव का मूल्यहास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यहास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसंपत्तियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है। स्थायी पट्टा आधार पर अधिग्रहीत पट्टेवाली भूमि को परिशोधित नहीं किया गया है।

अवधि के दौरान अधिग्रहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/- रूपए है, का पूर्ण मूल्यहास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान

में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

मूल्यहास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- 11 में किए गए उल्लेख के अनुसार “सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।”

### स्वीकृति समाप्ति

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा उसके निपटान से भविष्य में किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

### **2.2.3 गैर-वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन**

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पत्ति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पत्ति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पत्ति यूनिट की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को हासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन कर पूर्व छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित

रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख के अतिरिक्त परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली गई अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पत्ति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली गई अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन राशि, मूल्यहास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

#### **2.2.4 राजस्व स्वीकृति**

##### **सेवा रियायत व्यवस्था**

##### **क) सेवा रियायत व्यवस्था के तहत वित्तीय संपत्ति (इंड एस 115 के लिए परिशिष्ट सी - ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व)**

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को उस स्तर तक स्वीकार करती है कि उसके पास निर्माण सेवाओं और परिचालन और रखरखाव सेवाओं के लिए अनुदानकर्ता ("एनएचएआई") से या उसके निर्देश पर नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का, बिना शर्त संविदात्मक अधिकार है।

ऐसी वित्तीय संपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य यानी वर्तमान मूल्य पर और बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इस पद्धति के तहत, वित्तपोषण तत्व के लिए वित्तीय संपत्ति बढ़ाई जाएगी और अनुदानकर्ता से धन प्राप्त होने पर कम की जाएगी

##### **कंपनी इंड एस-115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व"**

कंपनी इंड एस-115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के अनुसार निर्माण और प्रचालन और अनुरक्षण सेवाओं से राजस्व को स्वीकार कराती है और उनका मापन करती है।

कंपनी एक ही समय या उसके आसपास के समय में समान ग्राहकों के साथ प्रविष्ट दो या अधिक

संविदाओं को एक ही ग्राहक के संयोजित करती है और उन संविदाओं के लिए एकल संविदा के रूप में लेखांकन करती है, यदि संविदाएं एकल कामशियल उद्देश्य या एक संविदा में भुगतान की जाने वाली निर्धारित राशि अन्य संविदा या वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य या निष्पादन पर निर्भर करती है के साथ पैकेज के रूप में एकल निष्पादन दायित्व के रूप में निष्पादित हो।

संव्यवहार मूल्य (इसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है) वह मूल्य है जो सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्राहक के साथ अनुबंधित है। राजस्व को लेनदेन के मूल्य पर मापा जाता है जो निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है जैसे जीएसटी और इसे परिवर्ती धराशि के साथ समायोजित किया जाता है।

कंपनी की संविदा की प्रकृति मूल्य वृद्धि तथा तरलता क्षतियों सहित विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को उत्पन्न करती है। कंपनी वेरिबल दृष्टिकोण हेतु

संव्यवहार के मूल्य में किसी प्रकार का अनुवर्ती परिवर्तन संविदा में निष्पादन के दायित्वों के लिए उसी आधार पर आवंटित किया जाता है, जैसा संविदा के निर्धारण के समय होता है।

कंपनी परिवर्तनीय विचार के लिए राजस्व को स्वीकार करती है, जब यह संभव है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। कंपनी सबसे संभावित राशि विधि का उपयोग करके परिवर्तनीय विचार पर पहचाने जाने वाले राजस्व की मात्रा का अनुमान लगाती है।

इसके परिणामस्वरूप, संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व की कमी के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में लेनदेन में परिवर्तन होता है। कंपनी निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करती है और समय पर राजस्व को स्वीकार है, यदि किसी भी निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाता है:

- क) ग्राहक साथ ही साथ इकाई निष्पादन के रूप में इकाई के कार्यनिष्पादन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त और उपभोग करता है।
- ख) इकाई का निष्पादन परिसंपत्ति का निर्माण या संवर्धन करता है (उदाहरण के लिए, प्रगतिरत कार्य) जिसे ग्राहक द्वारा परिसंपत्ति के निर्माण या वृद्धि पर नियंत्रित किया जाता है।
- ग) इकाई का निष्पादन इकाई के लिए वैकल्पिक उपयोग हेतु परिसंपत्ति नहीं बनाता है और इकाई को आज तक पूरा किए गए कार्यनिष्पादन के भुगतान के लिए लागू करने योग्य अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट कार्यनिष्पादन दायित्व के लिए, स्वीकृत राजस्व प्रगति का माप, प्रतिशत पूर्णता पद्धति का उपयोग करके, प्रदर्शन निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की ओर किया जाता है। प्रगति को आज की तारीख तक वास्तविक लागत के अनुपात के अनुसार कार्यनिष्पादन

दायित्व के प्रति कुल अनुमानित लागत पर मापा जाता है। तथापि, जहाँ कंपनी किसी निष्पादन बाध्यता के परिणाम को यथोचित रूप से मापने में सक्षम नहीं है, लेकिन कंपनी को संभावना है कि वह निष्पादन दायित्व को पूरा करने में हुई लागत को वसूलेगी, कंपनी ऐसे समय तक किए गए लागतों की सीमा तक ही राजस्व को स्वीकार करेगी। यह यथोचित निष्पादन दायित्व के परिणाम को माप सकता है। संचयी कैच-अप समायोजन को उस अवधि में मान्यता दी जाएगी जिसमें इकाई अपनी प्रगति को उचित रूप से मापने में सक्षम है।

निष्पादन दायित्व को इनपुट पद्धति लागू करके मापा जाता है। उन अनुबंधों में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट विधि द्वारा नहीं मापा जा सकता है, आउटपुट पद्धति लागू की जाती है, जो कंपनी के निष्पादन को निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के लिए निष्ठापूर्वक दर्शाती है।

संविदागत आशोधनों को तब लेखांकित किया जाता है जब पर स्वीकृत संवर्धन, विलोपन या परिवर्तन किए गए हों।

संविदाओं में संशोधन के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा संविदा में शामिल की गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण बिक्री मूल्य पर है या नहीं। शामिल की गई सेवाएं जो पृथक नहीं हैं, उनका संचयी कैच-अप आधार पर लेखांकित किया जाता है, जबकि जो सेवाएं पृथक होती हैं, उन्हें या तो पृथक संविदा के रूप में देखा जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं का मूल्य स्टैंडएलोन विक्रय मूल्य पर या मौजूदा संविदा की समाप्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है, यदि स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य पर मूल्यांकित नहीं किया गया है।

### संविदा शेष

**संविदा परिसम्पतियां :** किसी संविदा परिसम्पति के संबंध में ग्राहक को प्रतिफल के विनिमय के प्रति माल एवं सेवाओं का अंतरण का अधिकार प्राप्त है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक के लिए किया जाने वाला निष्पादन माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिफल दिए जाने से पूर्व अथवा प्रतिफल देय होने से पूर्व किया जाता है तो संविदा परिसम्पति की स्वीकृति अर्जित प्रतिफल, जो सशर्त है, के लिए की जाती है।

**व्यापार प्राप्य :** प्राप्य से कम्पनी का किसी प्रतिफल के रूप में किसी राशि की प्राप्ति का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी शर्त के बिना है (अर्थात् प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल थोड़ा समय अपेक्षित होता है)।

**संविदागत दायित्व :** संविदागत दायित्व वे दायित्व हैं जो कम्पनी को ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) के प्रति ग्राहक को माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए हैं।

यदि कोई ग्राहक कम्पनी द्वारा माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को करने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा दायित्व की पूर्ति भुगतान किए जाने पर अथवा भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) होती है। संविदागत देयताओं की राजस्व में स्वीकृति तब की जाती है जबकि कम्पनी द्वारा संविदा के प्रति निष्पादन कर लिया जाता है।

### **अन्य आय**

लाभांश आय को उस समय स्वीकार किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करके स्वीकार किया जाता है।

विविध आय को तब स्वीकार किया जाता है जब निष्पादन दायित्व संतुष्ट हो जाते हैं और संविदा की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

### **2.2.5 ऋण लागत**

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पत्ति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

### **2.2.6 कर**

#### **क. चालू आय कर**

चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है। चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन संबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा

इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में कम्पनी की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने की है।

#### **ख. आस्थगित कर**

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थायी भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा।

स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की वसूली की जा सकेगी।

आस्थगति कर परिसंपत्तियों और देयताओं को उस समय ऑफसेट किया जाता है जब चालू कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफसेट करने का विधिक प्रवर्तनीय अधिकारी होता है और जब आस्थगित कर शेष समान कर निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित हो।

### 2.2.7. विदेशी मुद्राएं

- **कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा**

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है, जिसमें इकाई संचालित होती है (“कार्यात्मक मुद्रा”)। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा भी है।

- **लेन-देन और शेष राशि**

लेनदेन की तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके, विदेशी मुद्रा लेनदेन को कार्यात्मक मुद्रा में लेखांकित किया जाता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को समापन दर (देयताओं के लिए अंतिम बिक्री दर और परिसंपत्ति के लिए अंतिम खरीद दर) में परिवर्तित कर दिया जाता है, गैर-मौद्रिक वस्तुओं को एक विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित किया जाता है जिसे ऐतिहासिक लागत पर लेखांकित किया जाता है, और इसका उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है संव्यवहार की तिथि पर इसे विनिमय दर पर लेखांकित किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान से सृजित होने वाले विनिमय अंतर, या रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार पुनर्कथन, उनसे भिन्न है, जिन पर उन्हें आरंभ में दर्ज किया गया था और उन्हें उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। ये विनिमय अंतर शुद्ध आधार पर लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किए जाते हैं।

## 2.2.8 कर्मचारी लाभ

### क. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर-डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

### ख. सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ एवं अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि कंपनी में कर्मचारी धारक कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

## 2.2.9 रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में उपलब्ध रोकड़, बैंकों में रोकड़ और तीन महीनों या इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली अल्पकाली सावधि जमा राशियां जो ज्ञात रोकड़ राशिके लिए तत्काली नकदीकृत की जा सकती है और जो मूल्य में परिवर्तन के गैर महत्वपूर्ण स्तर के अध्याधीन हो।

रोकड़ प्रवाह विवरण के प्रयोजन हेतु, रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में अप्रतिबंधित रोकड़ और अल्पकालीन जमा राशियां शामिल हैं, जैसा कि उपर परिभाषित किया गया है, क्योंकि ये कंपनी के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न अंग समझा जाता है।

## 2.2.10 लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें शेयरधारकों द्वारा लाभांश को मंजूरी दी जाती है। किसी भी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल के अनुमोदन पर दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है। देय लाभांश और लाभांश वितरण पर संबंधित कर, यदि कोई हो, को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

## 2.2.11 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

### क. प्रावधान

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तक्रसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बहिःप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली, जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

### ख. दुर्वह संविदाएं

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात् वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं, जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

### ग. आकस्मिक देयताएं

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिःप्रवाह अपेक्षित होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिःप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

### घ. आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

## 2.2.12 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

### क. पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यूनतम मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

### i. उपयोग-अधिकार संपत्ति

कंपनी, पट्टे की आरंभ तिथि (अर्थात्, अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि) पर उपयोग-अधिकार संपत्ति को स्वीकार करती है। उपयोग-अधिकार की संपत्ति को लागत पर मापा जाता है और इसमें किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानियों को कम किया जाता है, और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुनःमाप के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग-अधिकार की संपत्ति की लागत में मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों की राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, और प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए पट्टा भुगतान में से कोई भी पट्टा प्रोत्साहन प्राप्त होता है। उपयोग की जाने वाली संपत्ति का मूल्यह्रास, सीधी रेखा आधार पर पट्टे की अवधि से कम और संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर किया जाता है।

यदि पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई संपत्ति का स्वामित्व, कंपनी को हस्तांतरित हो जाता है या लागत विकल्प के प्रयोग को दर्शाती है, तो मूल्यह्रास की गणना परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन का उपयोग करके की जाती है।

उपयोग-अधिकार की संपत्ति भी हानि के अधीन हैं।

### ii. पट्टा दायित्व

कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल हैं। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पत्ति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पत्ति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

### iii. अल्पकालिक पट्टे तथा निम्न मूल्य वाली परिसम्पत्तियों के पट्टे

कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पत्ति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पत्तियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

### ख. पट्टेदार के रूप में कंपनी

जिन पट्टों में कंपनी किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सृजित किराया आय को पट्टे की शर्तों के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर लेखांकित किया जाता है और इसकी परिचालन प्रकृति के कारण लाभ या हानि के विवरण में राजस्व में शामिल किया जाता है। एक परिचालन पट्टे हेतु वार्ता और व्यवस्था में किए गए प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को पट्टे पर दी गई संपत्ति की अग्रणीत राशि में जोड़ा जाता है और पट्टे की अवधि में

किराये की आय के समान आधार पर मान्यता दी जाती है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में राजस्व के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें वे अर्जित किए जाते हैं।

## 2.213 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं, जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पत्ति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

### क. वित्तीय परिसम्पतियां

#### प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापना की गई परिसम्पतियों के अतिरिक्त) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

#### अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

#### ● परिशोधन लागत पर नामे उपकरण

निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर 'ऋण उपकरण' का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है:

क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है, और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज (एसपीपीटी) का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को

लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यतः व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

- **अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऋण उपकरण**

निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर 'ऋण उपकरण' का एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत किया गया है:

- क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और
- ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर-स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

- **एफवीटीपीएल पर ऋण उपकरण**

एफवीटीपीएल ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

- **इक्विटी उपकरण**

इंड एस-109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरण एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण-वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते हैं तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

### वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात् सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एस-109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया है:

- क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात् ऋण, ऋण प्रतिभूतियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।
- ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।
- ग. इंड एस-116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य।

- घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एस-115 के दायरे में है।
- ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।
- च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए "सरल दृष्टिकोण" का अनुसरण किया गया है:

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एस 116 के दायरे में हैं।

सरल दृष्टिकोण की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइम ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति "अन्य व्यय" शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया है:-

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्य: ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात् तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।
- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात् एक दायित्व के रूप में की गई है।
- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर "संचित परिशोधन राशि" के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात् ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय/व्युत्पत्ति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पत्ति नहीं की गई है।

### **वित्तीय परिसंपत्तियों की अस्वीकृत**

वित्तीय परिसंपत्तियां (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्तियों का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तिया के समूह का भाग) को अस्वीकार केवल तब किया जाता है जब परिसंपत्तियों से रोकड प्रवाहों का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है या वित्तीय परिसंपत्तियां अंतरित हो जाती हैं तथा इसके परिणामस्वरूप परिसंपत्ति के सभी जोखिम और परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी प्रतिफल भी अंतरित हो जाता हैं।

वह मूल्य और प्राप्त/प्राप्य लाभ राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है।

## ख. वित्तीय देयताएं

### प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

कम्पनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देयताएं, ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

### अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

- **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं**

कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

- **परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं**

### ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

### वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

#### ग. वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एस-109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

#### घ. वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के लिए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी-कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके प्रचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया

जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

#### **ड. वित्तीय माध्यमों की ऑफसेटिंग**

स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

#### **2.2.14 उचित मूल्य मापन**

कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा
- उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में।

उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर-वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पत्ति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को

विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पत्ति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर-प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं:-

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर-समायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर-प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

### 2.2.15. बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर-चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलब्ध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री / वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

यदि इंड एस 105 “बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियां” के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियों का मापन – (1) बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा (2) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है। मूल्यह्रास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त

परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर-चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

#### 2.2.16. प्रमुख पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक/अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

#### 2.2.17. प्रचालनिक सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक (सीओडीएम) को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। सीओडीएम, संसाधनों को आवंटित करने और कंपनी के प्रचालनिक सेगमेंट के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन कराने के लिए उत्तरदायी है।

#### 2.2.18. प्रति शेयर आमदनियां

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यो शेयरों की संख्या का औसत है। प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकार्यो शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

#### 2.2.19 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर

आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

#### **क. ग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान**

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

#### **ख. आकस्मिताएं**

कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पत्ति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी संबंधी जटिल विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

### ग. वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

### घ. कर

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

### ड. गैर-वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पत्ति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा

प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

**च. नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में कम्पनी**

कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

**छ. राजस्व स्वीकृति**

कंपनी कार्यनिष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का उचित अनुमान लगाने के बाद समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व की पहचान करती है।

राजस्व की मान्यता के लिए काम के दायरे, दावों (मुआवजा, छूट इत्यादि) और अन्य भुगतानों में कार्यनिष्पादन दायित्व संतुष्ट होने की सीमा तक मूल्यांकन और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और वे संभावित होते हैं और उचित रूप से मापने में सक्षम होते हैं। दावों के लिए अनुमान बनाने के उद्देश्य से, कंपनी ने उपलब्ध संविदात्मक और ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग किया।

इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड

सीआईएन :-U45209DL2022GOI392406

13 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि हेतु वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट  
(सभी राशियां भारतीय लाख रूप में हैं जबतक अन्यथा उल्लेख न हो)

**3 सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण**

विवरण	कम्प्यूटर	कुल
<b>13 जनवरी 2022 तक</b>	-	-
परिवर्धन	0.42	<b>0.42</b>
निपटान/समायोजन	-	-
बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति में स्थानांतरण	-	-
विनिमय लाभ/हानि	-	-
<b>31 मार्च 2023 तक</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>
<b>13 जनवरी 2022 तक</b>	-	-
अवधि के लिए मूल्यहास शल्क	0.10	<b>0.10</b>
हानि	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति में स्थानांतरण	-	-
विनिमय लाभ/हानि	-	-
<b>31 मार्च 2023 तक</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>
<b>निवल बही मूल्य</b>		
<b>31 मार्च 2023 तक</b>	<b>0.32</b>	<b>0.32</b>

नोट:

(i) मूल्यहास संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुरूप है और निम्नानुसार बताया गया है:

परिसंपत्ति श्रेणी	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी जीवन (वर्षों में)
कम्प्यूटर	3-6

(ii) संपत्तियों का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जहां कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित संपत्तियों से भिन्न उपयोगी जीवन का उपयोग करती हो।

**इस्कॉन हरिद्वार वाईपास लिमिटेड**
**सीआईएन :-U45209DL2022GOI392406**
**13 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि हेतु वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट**  
**(सभी राशियां भारतीय लाख रूप में हैं जबतक अन्यथा उल्लेख न हो)**
**4 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)**
**क) 13 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक हैं: -**

विवरण	13 जनवरी 2022 (निगमान की तिथि) से 31 मार्च 2023 की अवधि हेतु
वर्तमान आयकर वर्तमान आयकर शुल्क आस्थगित कर अस्थायी अंतर की उत्पत्ति एवं निराकरण	26.24 (0.02)
<b>लाभ और हानि के विवरण में आयकर व्यय की सूचना</b>	<b>26.22</b>

**ख) 13 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए कर व्यय का समाधान और भारत की घरेलू कर दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ हैं:**

विवरण	13 जनवरी 2022 (निगमान की तिथि) से 31 मार्च 2023 की अवधि हेतु
1. कर पूर्व लाभ/(हानि) 2. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कॉर्पोरेट कर की दर 3. लेखांकन लाभ पर कर 4. कर समायोजन का प्रभाव (i) व्ययों पर कर: (क) निगमन-पूर्व व्यय (ख) अप्रिम कर पर ब्याज (ग) मूल्यहास प्रभाव (ii) आस्थगित कर व्यय / (आय) कर समायोजन का कुल प्रभाव 5. लाभ और हानि के विवरण में सूचित आयकर व्यय (3+4) 6. प्रभावी कर दर 6 = 5/1	103.28 25.17% 26.00  0.10 0.16 (0.02) (0.02)  <b>0.22</b> <b>26.22</b> <b>25.39%</b>

**ग) तुलन पत्र और लाभ और हानि के विवरण में आस्थगित कर परिसंपत्तियों और (देनदारियों) का घटक**

विवरण	लाभ हानि विवरण	तुलन पत्र
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023
निगमन-पूर्व व्यय	(0.04)	0.04
मूल्यहास	0.02	(0.02)
घाटे का अग्रेशन	-	-
<b>शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति/(देयताएं)</b>	<b>(0.02)</b>	<b>0.02</b>

**घ) तुलन पत्र में निम्नानुसार दर्शाया गया है:**

विवरण	31 मार्च 2023 को
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	0.04
विलंबित कर उत्तरदायित्व	(0.02)
<b>आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देनदारियां) (शुद्ध)</b>	<b>0.02</b>

**ड.) आस्थगित कर (देनदारियां)/परिसंपत्तियां का समाधान:**
**31.03.2023 तक**

विवरण	13 जनवरी 2022 को शेष (निवल)	लाभ और हानि के रूप में स्वीकृत	ओसीआई के रूप में स्वीकृत	31 मार्च 2023 को शेष (निवल)
निगमन-पूर्व व्यय	-	0.04	-	0.04
वही मूल्यहास और आयकर मूल्यहास में अंतर घाटे को आगे बढ़ाएं	-	(0.02)	-	(0.02)
<b>शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति/(देयताएं)</b>	<b>-</b>	<b>0.02</b>	<b>-</b>	<b>0.02</b>

**5 अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां**

विवरण	31 मार्च 2023 को
(अरक्षित और वसूली योग्य) प्रतिभूति जमा राशि	0.01
<b>कुल</b>	<b>0.01</b>

**इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड**
**सीआईएन :-U45209DL2022GOI392406**
**13 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि हेतु वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट**
**(सभी राशियां भारतीय लाख रूप में हैं जबतक अन्यथा उल्लेख न हो)**
**6 चालू संपत्ति - वित्तीय संपत्ति**
**6.1 चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - नकद और नकद समकक्ष**

विवरण	31 मार्च 2023 को
<b>बैंकों के पास शेष:</b>	
निर्धारित निधि	
चालू खातों में	5.02
3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा	39.80
<b>कुल</b>	<b>44.82</b>

**6.2 चालू संपत्ति - अन्य वित्तीय संपत्ति**

विवरण	31 मार्च 2023 को
<b>(अरक्षित और वसूली योग्य)</b>	
सुरक्षा जमा राशि	-
<b>अनुबंध परिसंपत्तियाँ :</b>	
एससीए के तहत अनुबंध संपत्ति	5,205.63
होलिडिंग कंपनी से प्राप्य राशि	93.53
<b>कुल</b>	<b>5,299.16</b>

**7 चालू कर संपत्ति (शुद्ध)**

विवरण	31 मार्च 2023 को
टीडीएस और अग्रिम कर सहित भुगतान किया गया कर (कर के प्रावधान का शुद्ध)	0.03
<b>कुल</b>	<b>0.03</b>

**8 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ**

विवरण	31 मार्च 2023 को
<b>(अरक्षित और वसूली योग्य)</b>	
<b>वसूली योग्य अग्रिम</b>	
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	927.62
टेकेदारों को अग्रिम (होलिडिंग कंपनी)	2,478.00
पूर्व प्रदत्त व्यय	11.83
<b>कुल</b>	<b>3,417.45</b>

इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड

सीआईएन :-U45209DL2022GOI392406

13 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि हेतु वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट

(सभी राशियां भारतीय लाख रूप में हैं जबतक अन्यथा उल्लेख न हो)

**9 प्राधिकृत शेयर पूंजी**

	31 मार्च 2023 को
प्रत्येक 10/- रुपये के 50,000 इक्विटी शेयर	
प्राधिकृत शेयर पूंजी	
प्रत्येक 10/- रुपये के 50,000 इक्विटी शेयर	5.00
जारी, स्वसक्राइव किए गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर	
प्रत्येक 10/- रुपये के 50,000 इक्विटी शेयर	5.00
कुलप जारी, स्वसक्राइव किए गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर	5.00

**(क) प्रमोटरों की शेयरधारिता**

विवरण	31 मार्च 2023 को प्रमोटरों धारित शेयर			वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	
31 मार्च 2023 को	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	50,000	100%	-
अवधि के अंत में बकाया राशि		50,000	100%	-

**(ख) वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों का समाधान**

विवरण	31 मार्च 2023 को	
	शेयरों की संख्या	राशि लाख में
वर्ष की आरंभ में / (अवधि)	-	-
वर्ष के दौरान जारी / (अवधि)	50,000.00	5.00
वर्ष के अंत में बकाया / (अवधि)	50,000.00	5.00

**इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें /अधिकार**

**(i) मतदान**

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका सममूल्य 10 प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

**(ii) परिसमापन**

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

**(iii) लाभांश**

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

**(घ) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण:**

विवरण	31 मार्च 2023 को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में शेयरधारिता का प्रतिशत
पूर्णतः प्रदत्त 10 रूपए के इक्विटी शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके नामांकित	50000	100%

\* होल्डिंग कंपनी की ओर से नामांकित शेयरधारकों के पास 600 इक्विटी शेयर हैं।

(ड.) होल्डिंग कंपनी "मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड" सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी है, जिसके पास कंपनी का 100% इक्विटी शेयर है।

**10 अन्य इन्विटी**

विवरण	31 मार्च 2023 को
प्रतिधारित आय	77.06
अर्ध इन्विटी (इरकोन से ऋण)	8,216.94
<b>कुल</b>	<b>8,294.00</b>

**i) संचलन निम्नानुसार :**

विवरण	31 मार्च 2023 को
प्रतिधारित आय	
प्रारंभिक जमा	-
लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष से स्थानांतरण	77.06
<b>समापन शेष</b>	<b>77.06</b>

**ii) प्रकृति और उद्देश्य:**

प्रतिधारित आय  
 प्रतिधारित आय कंपनी के अतिरिक्त लाभ का प्रतिनिधित्व करती है।  
 अर्ध इन्विटी

#####

**11 गैर-चालू देनदारियाँ - वित्तीय देनदारियाँ**
**11.1 गैर-चालू देनदारियाँ - व्यापार प्राप्य**

विवरण	31 मार्च 2023 को
(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	0.31
(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा डेक्रेडर एवं आपूर्तिकर्ता संबंधित पक्ष	30.29 320.63
<b>कुल</b>	<b>351.23</b>

**टिप्पणियाँ :-**

क) कंपनी अधिनियम, 2013 / सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमडी) के तहत आवश्यक प्रकटन नोट 33 में प्रदान किए गए हैं।

ग) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार देय एजिंग अनुसूची :

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की नियत तारीख से 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया	0.14		0.17	-	-	-	0.31
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया	30.00		320.92	-	-	-	350.92

**11.2 वर्तमान देनदारियाँ - अन्य वित्तीय देनदारियाँ**

विवरण	31 मार्च 2023 को
अरक्षित	
होल्डिंग कंपनी को देय	6.58
अन्य देय (कर्मचारी देय सहित)	-
<b>कुल</b>	<b>6.58</b>

**12 अन्य चालू देनदारियाँ**

विवरण	31 मार्च 2023 को
वैधानिक बकाया	105.00
<b>कुल</b>	<b>105.00</b>

**13 चालू देनदारियाँ - चालू कर देनदारियाँ (शुद्ध)**

विवरण	31 मार्च 2023 को
कर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर का शुद्ध)	-
<b>कुल</b>	<b>-</b>

**14.1 प्रचालनों से राजस्व**

विवरण	13 जनवरी 2022 (निगमान की तिथि) से 31 मार्च 2023 की अवधि हेतु
एससीए के तहत निर्माण अनुबंध राजस्व (नोट संख्या 29 देखें)	5,205.63
<b>कुल</b>	<b>5,205.63</b>

**14.2 अन्य आय**

विवरण	13 जनवरी 2022 (निगमान की तिथि) से 31 मार्च 2023 की अवधि हेतु
<b>ब्याज आय</b> मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज	103.92
<b>कुल</b>	<b>103.92</b>

**15 परियोजना व्यय**

विवरण	13 जनवरी 2022 (निगमान की तिथि) से 31 मार्च 2023 की अवधि हेतु
कार्य व्यय	5,099.84
<b>कुल</b>	<b>5,099.84</b>

**16 कर्मचारी लाभ व्यय**

विवरण	13 जनवरी 2022 (निगमान की तिथि) से 31 मार्च 2023 की अवधि हेतु
वेतन, पारिश्रमिक और बोनस	20.11
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	1.44
सेवानिवृत्ति लाभ	3.24
<b>कुल</b>	<b>24.79</b>

**17 वित्तीय लागत**

विवरण	13 जनवरी 2022 (निगमान की तिथि) से 31 मार्च 2023 की अवधि हेतु
व्याज व्यय *	0.64
अन्य उधार लागत	
बैंक गारंटी और अन्य शुल्क	8.60
<b>कुल</b>	<b>9.24</b>

\* इसमें आयकर पर ब्याज रु. 0.64 लाख.

**18 अन्य खर्च**

विवरण	13 जनवरी 2022 (निगमान की तिथि) से 31 मार्च 2023 की अवधि हेतु
निरीक्षण, जियो टेक्निकल जांच एवं सर्वेक्षण व्यय, आदि	30.00
मूद्रण एवं स्टेशनरी व्यय	0.06
कानूनी एवं व्यावसायिक शुल्क	5.87
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	0.48
निगमन-पूर्व व्यय	0.48
किराया	3.51
बीमा	30.78
यात्रा एवं वाहन	1.11
विविध व्यय	0.01
<b>कुल</b>	<b>72.30</b>

**(i) लेखापरीक्षकों को भुगतान**

विवरण	13 जनवरी 2022 (निगमान की तिथि) से 31 मार्च 2023 की अवधि हेतु
लेखापरीक्षक को भुगतान	
वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क	0.25
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.08
त्रैमासिक सीमित समीक्षा के लिए शुल्क	0.15
<b>कुल</b>	<b>0.48</b>

**19. इंड एस 21 'विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के अनुसार प्रकटीकरण**

लाभ और हानि के विवरण में विनिमय अंतर (शुद्ध) जमा/नाम की गई राशि शून्य है।

**20. कर्मचारी लाभ पर इंड एस 19 के अनुसार प्रकटीकरण**

इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड में कर्मचारियों को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (होल्टिंग कंपनी) से नामांकन/सेकंडमेंट आधार पर तैनात किया जाता है।

कंपनी की लेखांकन नीति (नोट संख्या 2.2.8) और होल्टिंग कंपनी के साथ व्यवस्था के संदर्भ में, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, अवकाश और नामांकित कर्मचारियों के अन्य टर्मिनल लाभों जैसे सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान, इंड एस-19 के संदर्भ में होल्टिंग कंपनी द्वारा किया जा रहा है। होल्टिंग कंपनी को भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, छुट्टियां और अन्य टर्मिनल लाभों के लिए भुगतान या देय राशि "कर्मचारी लाभ व्यय" (नोट 16) में शामिल है।

नामांकन/सेकंडमेंट पर कर्मचारियों का भविष्य निधि योगदान नियमित रूप से होल्टिंग कंपनी द्वारा अपने पीएफ ट्रस्ट के पास जमा किया जाता है।

**21. संबंधित पक्ष के प्रकटन**

इंड एस 24 'संबंधित पक्ष प्रकटन' के अनुपालन में प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

**क) संबंधित पक्षों की सूची**

**(i) होल्टिंग कंपनी**

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

**(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)**

**गैर - कार्यकारी निदेशक**

नाम	पदनाम
श्री अशोक कुमार गोयल (13 जनवरी, 2022 से 10 अक्टूबर, 2022 तक)	निदेशक इरकॉन से
श्री मसूद अहमद (13 जनवरी, 2022 से)	निदेशक इरकॉन से
श्री मुगुंथन बोजू गोडर (13 जनवरी, 2022से)	निदेशक इरकॉन से
श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा (10 अक्टूबर 2022 से)	निदेशक इरकॉन से

प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को पारिश्रमिक: कंपनी में वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान होल्टिंग कंपनी द्वारा बोर्ड में नामांकित अंशकालिक और गैर-

कार्यकारी निदेशक थे, जो कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। अंशकालिक और गैर कार्यकारी निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

ख) अन्य संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन इस प्रकार हैं:

लेन-देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	13 जनवरी 2022 (निगमन की तिथि) से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए
1) प्रतिपूर्ति व्यय	इरकॉन	होल्डिंग	6.20
2) किराया व्यय (जीएसटी सहित)	इंटरनेशनल	कंपनी	3.51
3) इक्विटी शेयरों में निवेश	लिमिटेड		5.00
4) कार्य अनुबंध			5,099.84
5) अर्ध/संभावित इक्विटी (ब्याज मुक्त ऋण) की प्राप्ति			8,216.94
6) होल्डिंग कंपनी को मोबिलाइजेशन अग्रिम			2,478.00
7) मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज आय			103.92

ग) संबंधित पक्षों के साथ बकाया शेष निम्नानुसार है:

लेन-देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2023 को
रिपोर्टिंग तिथि पर देय शेष राशि	इरकॉन	होल्डिंग	327.21
होल्डिंग कंपनी को बकाया मोबिलाइजेशन अग्रिम (अग्रिम पर प्राप्त ब्याज सहित)	इंटरनेशनल लिमिटेड	कंपनी	2,571.53

घ) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के नियम और शर्तें

(i) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन उन समान शर्तों पर किया जाता है जो हाथ की दूरी के लेन-देन में प्रचलित हैं।

(ii) रिपोर्टिंग तिथि पर संबंधित पक्षों की देय शेष राशि अरक्षित होती है, और निपटान बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से होता है। मोबिलाइजेशन अग्रिम को छोड़कर ये शेष ब्याज मुक्त हैं, जिस पर शीर्ष 5 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के एक वर्ष के औसत एमसीएलआर +1.25% की दर से ब्याज लगाया जाता है।

## 22. प्रति शेयर आय (ईपीएस)

### इंड एस 33 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण

(क) मूल ईपीएस की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से इक्विटी धारकों के लिए वर्ष के लाभ को विभाजित करके की जाती है।

(ख) विलयित ईपीएस की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या और रूपांतरण पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या द्वारा शिथिल प्रभाव पर विचार करने के बाद इक्विटी धारकों के लिए देय अवधि के लिए लाभ को विभाजित करके की जाती है। सभी संभावित इक्विटी शेयरों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करना।

### (i) प्रति शेयर मूल और विलयित आय (रुपये में)

विवरण	नोट	13 जनवरी 2022 (निगमन की तिथि) से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए
इक्विटी धारकों को देय लाभ (लाख रुपये में)	(ii)	77.06
इक्विटी शेयरों की संख्या		50,000.00
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या (संख्या में)	(iii)	50,000.00
प्रति शेयर आय (मूल)		154.12
प्रति शेयर आय (मिश्रित)		154.12
प्रति शेयर अंकित मूल्य		10.00

### (ii) इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ (अंश के रूप में प्रयुक्त) (लाख रुपये में)

विवरण	13 जनवरी 2022 (निगमन की तिथि) से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए
लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	77.06
ईपीएस की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ	77.06

(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (भाजक के रूप में प्रयुक्त) (संख्या)

विवरण	13 जनवरी 2022 (निगमन की तिथि) से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए
जारी किए गए इक्विटी शेयरों का प्रारंभिक शेष	-
इस अवधि के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	50,000.00
मूल ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत विलयन प्रभाव:	50,000.00
जमा: वर्ष के दौरान बकाया संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	-
विलयित ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	50,000.00

नोट : इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या, निगमन की तारीख से बकाया शेयरों की संख्या है, जिसे समयभार कारक द्वारा अवधि के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या से गुणा करके समायोजित किया जाता है। समयभार कारक उन दिनों की संख्या है जिनके लिए अवधि के दौरान कुल दिनों की संख्या के अनुपात के रूप में विशिष्ट शेयर बकाया हैं।

23. परिसंपत्तियों की हानि

इस अवधि के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिसूचित की धारा 133 के तहत इंड एस 36, "परिसंपत्तियों की क्षति" के संदर्भ में निवल वसूली योग्य मूल्य और वहन लागत के आधार पर वसूली योग्य राशि की गणना करके व्यक्तिगत संपत्ति की हानि पर आकलन किया है।

अधिनियम, 2013 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम 2016 के साथ पढ़ा जाए। तदनुसार, शून्य (शून्य) की हानि क्षति के लिए प्रावधान किया गया है।

## 24. आकस्मिक देनदारियाँ, आकस्मिक संपत्तियाँ और प्रतिबद्धताएँ

### क. आकस्मिक देनदारियाँ

इंड एस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति' के अनुसार वर्ष के दौरान कोई प्रावधान प्रदान नहीं किया गया।

### ख. आकस्मिक देयताएं

इंड एस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति' के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी के विरुद्ध किसी भी दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

### ग. आकस्मिक संपत्ति

इंड एस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति' के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी के पक्ष में कोई भी दावा प्राप्त के रूप में नहीं गिना गया।

### घ. प्रतिबद्धताएं

पूंजी : पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिम का शुद्ध) और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, शून्य है।

अन्य : दिनांक 31 मार्च 2023 को निष्पादन के लिए शेष ठेकेदार संबंधी ईपीसी कार्य का मूल्य 73672.10 लाख रुपये है।

## 25. सेगमेंट रिपोर्टिंग

### (i) सामान्य जानकारी

प्रचालनिक सेगमेंट को उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लिए निरंतर वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है, जिसका नियमित रूप से मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) द्वारा मूल्यांकन किया जाता है कि संसाधनों को कैसे आवंटित किया

जाए और कार्यनिष्पादन का आकलन किया जाए। कंपनी का निदेशक मंडल है मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम)। कंपनी महाराष्ट्र राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के व्यवसाय में कार्यरत है और चीफ ऑपरेटिंग डिजीजन मेकर (सीओडीएम), एक सेगमेंट के रूप में व्यवसाय के परिचालन परिणामों की निगरानी करता है, इसलिए इंड एएस 108 की आवश्यकताओं के अनुसार इसे किसी अलग सेगमेंट में प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

#### **(ii) भौगोलिक सूचना की जानकारी**

चूंकि कंपनी एक ही भौगोलिक खंड अर्थात भारत में कार्यरत है, इसलिए अलग से किसी भौगोलिक खंड का प्रकटन नहीं किया गया है।

#### **(iii) प्रमुख ग्राहक के बारे में जानकारी**

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, एकल ग्राहक अर्थात एनएचएआई से 5205.63 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कंपनी के कुल राजस्व का 10% से अधिक है।

### **26. वित्तीय प्रबंधन जोखिम**

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार देय और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य, कंपनी के संचालन का वित्तपोषण करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में, प्राप्त्य और नकद और अल्पकालिक जमा राशियां शामिल हैं। वित्तीय साधनों के उपयोग से कंपनी को निम्नलिखित जोखिमों का सामना करना पड़ता है:

(क) ऋण जोखिम

(ख) तरलता जोखिम

(ग) बाजार जोखिम

यह नोट उपर्युक्त जोखिमों में से प्रत्येक के लिए कंपनी के जोखिम, कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और जोखिम को मापने और प्रबंधित करने की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है।

## जोखिम प्रबंधन संरचना

कंपनी की गतिविधियां, इसे विभिन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। कंपनी ने पर्याप्त प्रणाली और अभ्यास विकसित करके ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निरीक्षण के लिए निदेशक मंडल पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

### क) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम, कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम तब उत्पन्न होता है, जब कोई ग्राहक या किसी वित्तीय साधन का प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप, कंपनी को वित्तीय हानि होता है। ऋण जोखिम मुख्य रूप से नकद और नकद समकक्षों और अन्य वित्तीय संपत्तियों से उत्पन्न होता है। कंपनी के जोखिम संभावना और उसके प्रतिपक्षों की ऋण रेटिंग की प्रबंधन द्वारा लगातार निगरानी की जाती है।

### नकद और नकदी के समतुल्य

नकदी और नकदी समकक्ष सुदृढ क्रेडिट रेटिंग वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे जाते हैं।

### व्यापार प्राप्य और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी का क्रेडिट जोखिम, मुख्य रूप से ग्राहक की विशेषताओं से प्रभावित होता है। जिस उद्योग और देश में ग्राहक काम करता है, वहां के डिफॉल्ट जोखिम सहित ग्राहक की जनसांख्यिकी का भी क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है। कंपनी, मुख्य रूप से एक्सप्रेसवे के निर्माण से राजस्व प्राप्त करती है और अन्य वित्तीय संपत्ति मुख्य रूप से सेवा रियायत व्यवस्था (एससीए) के तहत बिना बिल वाले राजस्व से संबंधित है। इन व्यापार प्राप्य और बिना बिल वाले राजस्व से उत्पन्न होने वाला क्रेडिट जोखिम सीमित है क्योंकि प्रतिपक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) है, जो भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है, जिसके पास दायित्वों को पूरा करने की क्षमता है और इसलिए, डिफॉल्ट का जोखिम बहुत नगण्य या शून्य है।

(i) ऋण जोखिम का खतरा

विवरण	31 मार्च 2023 को
वित्तीय संपत्तियां, जिनके लिए भत्ते का मापन 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानियों (एलईसीएल) का उपयोग करके किया गया	
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	0.01
नकद और नकदी के समतुल्य	44.82
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	5,299.16

(ii) संभावित ऋण हानि हेतु प्रावधान

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी क्षति हानि को स्वीकार नहीं किया गया है।

(iii) सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके मापे गए हानि भत्ते में परिवर्तन का सारांश

विवरण	31 मार्च 2023 को
आरंभिक भत्ते	-
अवधि के लिए प्रावधान	-
अवधि के दौरान उपयोग	-
बट्टा खाता राशि	
समापन भत्ता	-

ख) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिससे कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति वितरित करके तय की जाती हैं। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना है कि उसके पास अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता होगी, जब वे देय हों, दोनों सामान्य और तनावग्रस्त परिस्थितियों में, बिना अस्वीकार्य नुकसान या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2023 को महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं के बारे में विवरण प्रदान करती है

विवरण	31 मार्च 2023 को		
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 वर्ष या अधिक
देय व्यापार	351.23	-	-
अन्य वित्तीय दायित्व	6.58	-	-

### ग) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है, जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन, जैसे कि विदेशी मुद्रा दरों और ब्याज दरों से कंपनी की आय प्रभावित होगी। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य रिटर्न का अनुकूलन करते हुए स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाजार जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करना है। निदेशक मंडल, कंपनी के बाजार जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए जिम्मेदार है।

#### (i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी भारतीय रुपये है। कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में नहीं है।

#### (ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण उतार-चढ़ाव होगा। रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी को बैंक में जमा राशियों के संबंध में ब्याज दर जोखिम है।

विवरण	31-मार्च-23
निश्चित दर माध्यम	-
वित्तीय परिसंपत्ति	39.80
वित्तीय देनदारियों	-
फ्लोटिंग रेट उपकरण	
वित्तीय परिसंपत्ति	
वित्तीय देनदारियों	-
	39.80

27. उचित मूल्य मापन

क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

विवरण	31 मार्च 2023 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
<b>वित्तीय परिसंपत्तियां</b>			
(i) अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	0.01
(ii) नकद और नकद समकक्ष	-	-	44.82
(iii) अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियां	-	-	5,299.16
	-	-	<b>5,343.99</b>
<b>वित्तीय देयताएं</b>			
(i) व्यापार प्राप्त्य	-	-	351.23
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	6.58
	-	-	<b>357.81</b>

ख) उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

**स्तर 1:** समान संपत्ति या देयताएं के लिए सक्रिय बाजारों में कोट किया गया मूल्य (असमायोजित)।

**स्तर 2:** स्तर 1 के भीतर शामिल कोट की गई कीमतों के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

**स्तर 3:** संपत्ति या देयता के लिए अप्रचलित इनपुट।

ग) 31 मार्च 2023 तक वित्तीय संपत्तियों और देयताओं का मूल्य और उचित मूल्य

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर-1	स्तर-2	स्तर-3
<b>परिशोधित लागत पर वित्तीय संपत्तियां</b>				
(i) अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	0.01	-	-	0.01
(ii) नकद और नकद समकक्ष	44.82	-	-	44.82
(iii) अन्य चालू वित्तीय संपत्तियां	5,299.16	-	-	5,299.16
	<b>5,343.99</b>	-	-	<b>5,343.99</b>
<b>परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं</b>				
(i) व्यापार प्राप्य	351.23	-	-	351.23
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	6.58	-	-	6.58
	<b>357.81</b>	-	-	<b>357.81</b>

प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकदी और नकद समकक्षों, व्यापार देय, और अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियों / देयताओं का उचित मूल्य इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण उनकी अग्रणीत राशि का अनुमान प्रस्तुत करता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य उस राशि में शामिल है, जिस पर इच्छुक पक्षों के बीच मौजूदा लेनदेन में उपकरण का आदान-प्रदान किया जा सकता है।

## 28. पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य, निरंतर आधार पर जारी रहने की क्षमता का संरक्षण करना और शेयरधारकों को इष्टतम प्रतिफल प्रदान करना है। कंपनी की पूंजी संरचना, कुल इक्विटी पर ध्यान देने के साथ अपनी नीतिगत और दिन-प्रति-दिन की आवश्यकताओं के प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है, ताकि निवेशकों, लेनदारों और बाजार के विश्वास को बनाए रखा जा सके। प्रबंधन और निदेशक मंडल, पूंजी पर प्रतिफल की निगरानी करता है। कंपनी अपनी पूंजी संरचना को बनाए रखने, या यदि आवश्यक हो, तो समायोजित करने के लिए उचित कदम उठा सकती है।

इसके अलावा, कंपनी आर्थिक स्थितियों में बदलाव और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं के मद्देनजर समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है।

## 29. राजस्व

### क. राजस्व का पृथक्करण

ग्राहक के साथ अनुबंध की प्रकृति के संबंध में, राजस्व की केवल एक प्रकार की श्रेणी है :

दिनांक 13 जनवरी 2022 (निगमन की तिथि) से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए							
उत्पाद और सेवाओं का प्रकार	इंड एस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्वों के मापन की विधि		अन्य राजस्व	लाभ और हानि विवरण के अनुसार योग
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
राजमार्ग	5,205.63	-	5,205.63	5,205.63	-	-	5,205.63
<b>कुल</b>	<b>5,205.63</b>	<b>-</b>	<b>5,205.63</b>	<b>5,205.63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,205.63</b>

5205.63 लाख रूपए के राजस्व को समयावधि में स्वीकार किया गया है।

### ख. अनुबंध संतुलन

विवरण	31 मार्च 2023 को
संविदागत संपत्तियां (नोट 6.2)	5205.63
संविदागत दायित्व	-

i) अनुबंध संपत्तियों को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कंपनी के विचार के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सेवाओं का निष्पादन किया जाता है। इसमें निर्माण अनुबंधों के तहत ग्राहकों से बकाया राशि शामिल है, जो तब उत्पन्न होती है, जब कंपनी अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करती है। हालांकि राजस्व को इनपुट पद्धति के तहत

अवधि के दौरान स्वीकार किया जाता है। अनुबंध संपत्ति के रूप में पहले से स्वीकृति प्राप्त, किसी भी राशि को संलग्न शर्त की संतुष्टि पर व्यापार प्राप्तियों के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात् भविष्य की सेवा, जिसे बिलिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है।

#### अवधि के दौरान संविदागत शेषों में संचलन

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
अवधि के आरंभ में अनुबंध परिसंपत्ति	-
अवधि के अंत में अनुबंध परिसंपत्ति	5,205.63
<b>शुद्ध वृद्धि/(कमी)</b>	<b>5,205.63</b>

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए, इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व की पहचान के कारण, 5205.63 लाख रुपये की शुद्ध वृद्धि हुई है, जबकि किए गए कार्य के बिल अनुबंध की स्थिति के आधार पर प्रमाणित किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान बिल न किए गए राजस्व से व्यापार प्राप्य में कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं हुआ है।

ii) निर्माण अनुबंधों से संबंधित अनुबंध देयताएं ग्राहकों के कारण बकाया हैं, ये तब उत्पन्न होती हैं जब एक विशेष माइलस्टोन भुगतान इनपुट पद्धति के तहत मान्यता प्राप्त राजस्व और लंबी अवधि के निर्माण अनुबंधों में प्राप्त अग्रिम से अधिक हो जाता है। प्राप्त अग्रिम की राशि निर्माण अवधि में समायोजित हो जाती है जब ग्राहक को चालान किया जाता है।

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
अवधि के आरंभ में अनुबंध देनदारियां	-
अवधि के अंत में अनुबंध देनदारियां	-
<b>शुद्ध वृद्धि/(कमी)</b>	<b>-</b>

ग. नीचे निर्धारित राजस्व की राशि है जिससे मान्यता प्राप्त है:

विवरण	31 मार्च 2023
अवधि के आरंभ में अनुबंध देयताओं में शामिल राशि	-
पिछली अवधि में निष्पादित दायित्व संतुष्ट	-

घ. अनुबंध प्राप्त करने की लागत

कंपनी ने किसी ग्राहक के साथ अनुबंध प्राप्त करने के लिए कोई वृद्धिशील लागत वहन नहीं की है और इसलिए, ऐसी लागतों के लिए किसी परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है।

ड. शेष निष्पादन दायित्वों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य

शेष निष्पादन दायित्वों के लिए लेनदेन मूल्य, अनुबंध अवधि में कंपनी द्वारा प्रदान किए गए कार्य/सेवाओं के अनुपात में प्राप्त किया जाएगा।

कंपनी के कार्यनिष्पादन दायित्वों के बारे में जानकारी नीचे संक्षेप में दी गई है:

वर्ष के अंत में शेष निष्पादन दायित्वों (असंतुष्ट या आंशिक रूप से असंतुष्ट) के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य इस प्रकार हैं:

विवरण	31 मार्च 2023 को*
एक वर्ष के भीतर	62,495.84
एक वर्ष से अधिक से लेकर 2 वर्ष तक	18,714.40
2 वर्ष से अधिक	29.17
कुल	<b>81,239.41</b>

\*ऊपर दर्शाई गई राशि में परिवर्तनीय प्रतिफल शामिल नहीं है जो कि सीमित है।

### 30. सेवा रियायत व्यवस्था

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत व्यवस्थाएं भारतीय लेखा मानक 115 "सेवा रियायत व्यवस्था" के परिशिष्ट-ग के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

क) अनुदानकर्ता यह नियंत्रित या विनियमित करता है कि प्रचालक को बुनियादी ढांचे के साथ कौन सी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, किसे प्रदान करनी चाहिए, और किस कीमत पर करनी चाहिए ; और

ख) अनुदानकर्ता व्यवस्था की अवधि के अंत में बुनियादी ढांचे में किसी भी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित को स्वामित्व, लाभकारी पात्रता या अन्यथा के माध्यम से नियंत्रित करता है।

यदि उपरोक्त दोनों शर्तें एक साथ पूरी की जाती हैं, तो एक वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक मान्यता दी जाती है कि प्रचालक के पास सेवा के लिए अनुदानकर्ता से या उसके विवेक पर नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का बिना शर्त संविदात्मक अधिकार है।

इन वित्तीय संपत्तियों को शुरू में लागत पर पहचाना जाता है, जिसे प्रदान की गई सेवा के उचित मूल्य और संचालन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार अन्य प्रत्यक्ष लागतों के रूप में स्वीकार किया जाता है। फिर उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधित लागत पर लेखांकित किया जाता है।

इरकॉनएलआरएचएल ने दिनांक 08 मार्च, 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सेवा रियायत समझौता किया है, जिसके अनुसार एनएचएआई (प्राधिकरण) ने कंपनी को हाइब्रिड वार्षिकी आधार पर उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार बाईपास पैकेज-1 पर किमी.0+000 (एन.एच -58 का किमी 188+100) से किमी. 15+100 (एन.एच 74 का 5+100 किमी) ('परियोजना') का उन्नयन और चार लेन का निर्माण का कार्य सौंपा गया है। उक्त समझौते के अनुसार, इरकॉनएचबीएल का दायित्व है कि वह हरिद्वार बाईपास खंड के चार लेन की परियोजना का निर्माण पूरा करे और उन सभी परियोजनाओं की संपत्तियों सहित परियोजना की संपत्तियों को उचित कार्यशील स्थिति में रखे, जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है। यह परियोजना वार्षिकी पैटर्न के अंतर्गत है।

रियायती अवधि वाणिज्यिक परिचालन की तारीख से शुरू होकर 15 वर्ष होगी। रियायत अवधि के अंत में, संपत्ति वापस भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

समझौते की शर्तों में महत्वपूर्ण उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और इरकॉनएलआरएचएल को समझौते को समाप्त करने का अधिकार है, यदि वे ऐसे समझौते के अनुसार डिफॉल्ट की घटना को ठीक करने में सक्षम नहीं हैं।

कंपनी ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार लक्ष्य पूरा होने पर एनएचएआई से मिली प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि तक सेवा रियायत समझौते के तहत 5206.63 लाख रुपये की वित्तीय संपत्ति को मान्यता दी है। कंपनी ने "ग्राहकों से राजस्व" से संबंधित इंड एस - 115 के अनुसार एससीए और संचालन राजस्व के तहत सड़क के निर्माण पर दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए 5206.63 लाख रुपये के राजस्व को मान्यता दी है। कंपनी ने सेवा रियायत व्यवस्था के तहत प्राप्य को मान्यता दी है और अन्य वित्तीय वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत दिखाया है, जो उसे दिनांक 31 मार्च 2023 तक लक्ष्य के पूरा होने के आधार पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्राप्त होगा।

#### **इंड एस 115 के परिशिष्ट-घ के संदर्भ में प्रकटीकरण:**

कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम 2016 में अधिसूचित अनुसार, ग्राहकों से इंड एस - 115 राजस्व में परिशिष्ट-घ में आवश्यक प्रकटीकरण के संदर्भ में, तुलनपत्र की तारीख तक वित्तीय विवरणों में विचार की गई राशि निम्नानुसार है: -

#### **घ) वर्ष के दौरान राजस्व और लाभ या हानि का प्रकटन**

विवरण	13 जनवरी 2022 (निगमन की तिथि) से 31 मार्च 2023 की अवधि हेतु
अनुबंध राजस्व मान्यता प्राप्त	5,205.63

व्यय की गई कुल राशि	5,205.63
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	-
ग्राहकों द्वारा प्रतिधारित राशि	-
वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए निर्माण सेवा के विनियम हेतु अवधि के दौरान स्वीकृत लाभ/(हानि)	
संविदागत कार्यों हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	5,205.63

### 31. पट्टे

#### क) एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी के पास ऐसी कोई पट्टेदारी व्यवस्था नहीं है, जो प्रकृति में रद्द न किए जाने योग्य हो। तदनुसार, कंपनी द्वारा संपत्ति के उपयोग के अधिकार और पट्टे की देयताओं को मान्यता नहीं दी गई है।

कंपनी ने कार्यालय को 12 महीने या उससे कम की पट्टा शर्तों के साथ पट्टे पर लिया है। कंपनी ऐसे पट्टों के लिए 'अल्पकालिक पट्टा' मान्यता छूट लागू करती है।

लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ निम्नलिखित हैं:

विवरण	13 जनवरी 2022 (निगमन की तिथि) से 31 मार्च 2023 की अवधि हेतु
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय (नोट 18 देखें)	3.51

#### ख) पट्टादाता के रूप में कंपनी

कंपनी के पास पट्टादाता के रूप में पट्टे की कोई व्यवस्था नहीं है।

32. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

	विवरण	वर्ष 31 मार्च 2023 को
(क)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में मूल राशि और उस पर देय ब्याज, जो किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया है: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि उपर्युक्त पर ब्याज	-
(ख)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से आगे आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में रीजन द्वारा देय ब्याज की राशि।	-
(ग)	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु निर्धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-
(घ)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और शेष अप्रदत्त राशि।	-
(ङ)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि, ऐसी तारीख जबतक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो गई हो, जो कि कटौतीयोग्य व्ययों की अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु है।	-

33. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत शामिल नहीं है और इस अवधि के कोई सीएसआर व्यय नहीं किया गया है।

**34. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अनुसार प्रकटीकरण:**

इस अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा कोई ऋण, निवेश और गारंटी नहीं दी गई है।

**35. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में संशोधन के अनुसार प्रकटीकरण:**

निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 24 मार्च 2021 की अधिसूचना द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में संशोधन किया है, जो ऐसे प्रकटनों के संबंध में जो दिनांक 01 अप्रैल 2021 से लागू हैं। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में उक्त संशोधन के अनुसार परिवर्तनों को शामिल किया है और नीचे दिए गए प्रकटन, उक्त संशोधन के अनुपालन में किए गए हैं:

(i) कंपनी के पास अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए कंपनी के नाम पर स्वामित्व विलेख का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ii) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(iii) कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 तक कोई भी पूंजीगत प्रगतिरत कार्य, निवेश संपत्ति, अमूर्त संपत्ति और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति नहीं है। वर्ष 2022-23 और 2021-22 के दौरान, कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन किया।

(iv) कंपनी ने इस अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत विवादित कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है।

(v) कंपनी ने इस अवधि के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(vi) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

(vii) कंपनी के पास इक्विटी में बदलाव के विवरण में अलग से प्रकटन करने के लिए कोई पूर्व अवधि की त्रुटि नहीं है।

(viii) कंपनी के पास कोई शुल्क या शुल्क की संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है।

(ix) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाइयों) को इस आशय के साथ धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं की है कि मध्यस्थ:

(क) कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करने हेतु

(ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करने हेतु।

(x) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी:

(क) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना या

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगा

(xi) कंपनी के पास 2478.00 लाख रुपये के मोबिलाइजेशन अग्रिम को छोड़कर प्रमोटर्स, निदेशकों, केएमपी और अन्य संबंधित पक्षों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं है।

(xii) "कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है

(xiii) कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा बहियों में दर्ज नहीं है, जिसे बाद में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत चल रहे कर निर्धारण (जैसे खोज या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के हिस्से के रूप में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो।

(xiv) कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है इसलिए कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 2 के खंड 87 के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन लागू नहीं है।

(xv) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान व्यवस्था की किसी भी योजना में प्रवेश नहीं किया है।

(xvi) कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जहां कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया है जिसके लिए इसे तुलनपत्र की तारीख पर लिया गया था।

(xvii) कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ वर्तमान परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों और खाते की पुस्तकों के साथ दायर विवरण का मिलान लागू नहीं है।

(xviii) निम्नलिखित लेखांकन अनुपात का प्रकटन किया गया है: -

क.सं	विवरण	न्यूमेटर	डिनॉमिनेटर	31 मार्च 2023	% परिवर्तन	25% से अधिक परिवर्तन का कारण
क)	चालू अनुपात (गुणा में)	चालू संपत्ति	चालू देयताएं	18.93	लागू नहीं*	लागू नहीं*
ख)	ऋण इक्विटी अनुपात (गुणा में)	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	0.00	लागू नहीं*	लागू नहीं*
ग)	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (गुणा में)	ऋण सेवा के लिए आय = कर पश्चात निवल लाभ + गैर नकदी प्रचालनिक व्यय	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती	0.00	लागू नहीं*	लागू नहीं*

घ)	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	करों पश्चात शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश	औसत शेयरधारक की इक्विटी	0.01	लागू नहीं*	लागू नहीं*
ड)	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (गुणा में)	बिक्री हेतु सामान की लागत	औसत सूची	0.00	लागू नहीं*	लागू नहीं*
च)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (गुणा में)	प्रचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	0.00	लागू नहीं*	लागू नहीं*
छ)	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (गुणा में)	निवल ऋण खरीद = सकल ऋण खरीद - खरीद प्रतिफल	औसत व्यापार देय	14.52	लागू नहीं*	लागू नहीं*
ज)	शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात (गुणा में)	प्रचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी = वर्तमान संपत्ति - वर्तमान देनदारियां	0.63	लागू नहीं*	लागू नहीं*
झ)	शुद्ध लाभ अनुपात (गुणा में)	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न	0.01	लागू नहीं*	लागू नहीं*
ञ)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (प्रतिशत में)	ब्याज और करों पूर्व आय	नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य	0.01	लागू नहीं*	लागू नहीं*

			+ कुल ऋण + आस्थगित कर देयता			
ट)	निवेश पर वापसी (प्रतिशत में)	निवेश से उत्पन्न आय (वित्तीय आय)	निवेश	0.00	लागू नहीं*	लागू नहीं*

\* चूंकि वित्तीय विवरण पहली बार तैयार किए जाते हैं, अनुपात में प्रतिशत परिवर्तन और परिवर्तन का कारण लागू नहीं होता है।

### 36. कोविड-19 प्रकटन

कंपनी ने संभावित प्रभावों पर विचार किया है जो वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियों की राशि की वसूली सहित अपने वित्तीय परिणामों की तैयारी में कोविड -19 से उत्पन्न हो सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में कोविड-19 के कारण परिस्थितियों में, कंपनी ने सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है और उम्मीद करती है कि परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की जाएगी। इस वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव अनुमान से भिन्न हो सकता है, क्योंकि भारत और विश्व स्तर पर कोविड-19 की स्थिति विकसित हो रही है। हालाँकि, कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की गहनता से निगरानी करना जारी रखेगी।

### 37. हाल की घोषणाएं

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") ने समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधन को दिनांक 31 मार्च 2023 को अधिसूचित किया है। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियमों 2023 में निम्नानुसार संशोधन किया है :

**इंड एस1-** वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति - इस संशोधन में संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के स्थान पर अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का प्रकटन करने की आवश्यकता है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद आरंभ होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और वित्तीय विवरणों में संशोधन का प्रभाव नगण्य है।

**इंड एस 8** - लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटि - इस संशोधन ने 'लेखा अनुमान' की एक परिभाषा प्रस्तुत की है और इकाइयों को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों से लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को अलग करने में मदद करने के लिए इंड एस 8 में संशोधन प्रस्तुत किया है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद आरंभ होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

**इंड एस 12** - आयकर - इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है, इसलिए यह उन लेनदेन पर लागू नहीं होता है जो समान और अस्थायी मतभेदों को उत्पन्न करते हैं। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद आरंभ होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

### **38. अन्य नोट**

(i) इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड को 13 जनवरी 2022 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। यह 13 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए पहला वित्तीय विवरण है और इसलिए पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं।

(ii) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 447.61 करोड़ रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया है, हालांकि कंपनी ने 31.03.2023 तक ऋण नहीं लिया है।

(iii) कंपनी के पास बैंकों और अन्य पार्टियों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है।

(iv) प्रबंधन की राय में, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में वसूली पर परिसंपत्तियों का मूल्य, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर ये बैलेंस शीट में बताए गए हैं।

(v) आंकड़े लाख में निकटतम रुपये तक पूर्णांकित हैं। (vi) आंकड़े लाख में निकटतम रुपए में पूर्णांकित किए गए।

---

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से  
इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड

कृते रवि रमेश एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
आईसीएआई फर्म सं. - 004306N

ह/-  
सीए सुभाष बंसल  
साझेदार  
आईसीएआई सदस्यता सं. - 085785

ह/-  
मुगुंथन बोजू गोडा  
निदेशक  
डीआईएन: 08517013

ह/-  
मसूद अहमद  
निदेशक  
आईएन: 09008553

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक: 12.05.2023

# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग  
प्रधान निर्देशक लेखापरीक्षा का कार्यालय  
रेलवे वाणिज्यक नई दिल्ली  
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT  
RAILWAY COMMERCIAL, NEW DELHI

संख्या: डीजीए/आरसी/ एए-आईएचबीएल/78-26/2023-24/303 दिनांक: 28.07.2023

सेवा में,

निदेशक,  
इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड,  
सी-4, जिला केन्द्र, साकेत,  
नई दिल्ली -110017.

महोदय,

विषय: 13 जनवरी, 2022 से 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

मैं, इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड के 13 जनवरी, 2022 से 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों अंग्रेषित कर रहा हूँ।

कृप्या इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

ह/-

डॉ निलोत्पल गोस्वामी  
महानिदेशक (रेलवे वाणिज्यक)

संलग्न: यथोपरि

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 12 मई 2023 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

कृते एवं की ओर से  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह/-

डॉ निलोत्पल गोस्वामी  
लेखापरीक्षा महानिदेशक  
रेल वाणिज्य, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 28.07.2023



**इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड  
(‘इरकॉनएचबीएल’)**

**पंजीकृत और निगमित कार्यालय :**

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत

दूरभाष: +91-11-29565666 | फैंक्स: +91-11-26522000, 26854000

ई-मेल आईडी : [cospv.ircon@gmail.com](mailto:cospv.ircon@gmail.com)

